



राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद (रा.इ.सू.प्रौ.सं), औरंगाबाद  
(भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था)  
सी.ई.डी.टी कॉम्प्लेक्स, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परिसर,  
औरंगाबाद - 431 004 (महाराष्ट्र)  
फोन: 0240-2982021, 2982022. वेबसाइट: [www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad](http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad)

---

संदर्भ सं। रा.इ.सू.प्रौ.सं-A / प्रशासन / छात्रावास-मेस / 01 / 2018-2019

दिनांक: 25.03.2019

हॉस्टल मेस, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के लिए  
मैनपावर की आउटसोर्सिंग के साथ  
अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु  
निविदा

अंतिम तिथि : 18-04-2019 15:00 बजे तक

## विषय - सूची

भाग	सामग्री	पृष्ठ संख्या
	सामग्री की तालिका	2
	हॉस्टल मेस के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जनशक्ति के आउटसोर्सिंग के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस	3-7
I	प्रसंग की अनुसूची	8
II	पृष्ठभूमि, कार्य का दायरा, स्वच्छता और स्वच्छता, निविदा लगाने वाले की जिम्मेदारी और निविदा लगाने वाले से आवश्यकता	9-14
III	नियम और शर्त	
	A परिभाषा	15
	B अवधि और अनुबंध की समाप्ति	15
	C पात्रता मानदंड	15-18
	D सेवाएं प्रदान करना /समर्थन	18
	E भुगतान	18-20
	F गैर-प्रदर्शन और गैर-भुगतान के लिए दंड	20
	G निविदादाता की अयोग्यता	21
	H कानूनी क्षेत्राधिकार	21
	I अन्य सामान्य नियम और शर्तें	21-25
	J निविदा वैधता	25
	K त्रुटियों का सुधार	25
	L निविदा के प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया	26-27
	M फ्रॉड और करप्ट प्रैक्टिस	27-28
	N कंसोर्टियम	28
	O उपपट्टा	28
	P अधिकार का आरक्षण	28
	U हित-संघर्ष	29
	R क्षतिपूर्ति	29-30
	S कानून और विनियमों में बदलाव	30
	T आपराधिक मुकदमें और धारण	30
	U अप्रत्याशित घटना	30
	V मध्यस्थत	31
	W अनुबंध निर्णय के लिए नियम और शर्तें	31
IV	प्रमाण पत्र -(रासं.प्रौ.सू.इ. में कोई भी निकट रिश्तेदार काम नहीं कर रहे हैं का प्रपत्र)	32
	ब्लैकलिस्टिंग / गैर-ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में प्रमाण पत्र	33
	<b>प्रमाण पत्र</b> - प्राधिकार पत्र	34
	पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप	35
V	अनुलग्नक I - तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा	36-40
	अनुलग्नक II - वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा	41-42
	अनुलग्नक III - रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर वचन देना	43
	अनुलग्नक IV-के उपक्रम के IV पत्र	44
	अनुलग्नक V - जांचसूची-	45



राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद (रा.इ.सू.प्रौ.सं), औरंगाबाद  
(भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था)  
सी.ई.डी.टी कॉम्प्लेक्स, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परिसर,  
औरंगाबाद - 431 004 (महाराष्ट्र)  
फोन: 0240-2982021, 2982022. वेबसाइट: [www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad](http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad)

---

संदर्भ सं। रा.इ.सू.प्रौ.सं-A /प्रशासन/छात्रावास-मेस /01/2018-2019

दिनांक: 25.03.2019

निविदा आमंत्रित करने का नोटिस

(अंतिम तिथि : 18-04-2019 15-00 बजे तक)

हॉस्टल मेस, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के लिए मैनपावर की आउटसोर्सिंग के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु  
निविदा

कार्यकारी निदेशक, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद की ओर से होस्टल मेस, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद चलाने के लिए  
सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जो केवल खाना पकाने के लिए आवश्यक मैनपावर और अन्य  
अपेक्षित बर्तन / वस्तुएं / गैस आदि उपलब्ध कराती हैं। सभी विवरण, नियम और शर्तों वाले निविदा दस्तावेज  
वेब साइट ([www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad](http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad) या [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in)) से डाउनलोड करें।

यदि आप रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में होस्टल मेस चलाने के लिए अपेक्षित मैनपावर और अन्य अपेक्षित बर्तन  
/ वस्तुएं / गैस आदि उपलब्ध कराने के लिए निर्देश, नियमों और शर्तों के कड़ाई से पालन करते हैं और  
निविदा दस्तावेजों में विस्तृत आवश्यकताओं के अनुसार हैं। कृपया दो निविदाओं में अपना टेंडर प्रस्तुत करें,  
अर्थात्, भाग- V: - अनुलग्नक I (तकनीकी निविदा) जिसमें नियम और शर्तें शामिल हैं और अनुलग्नक - II  
(वित्तीय निविदा - मूल्य निविदा) दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में संलग्न विस्तृत सामान्य निर्देश के  
अनुसार निविदा प्रस्तुत करें।

निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेजों में दिए गए निर्देशों, नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

हॉस्टल मेस. रा.इ.सू.प्रौ.सं. औरंगाबाद के लिए मैनपावर की आउटसोर्सिंग के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु  
निविदा

निविदा खोलने का स्थान	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद, सी.ई.डी.टी कॉम्प्लेक्स, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	18.04.2019 15.00 बजे तक
तकनीकी निविदा के खुलने का समय दिनांक समय	22.04.2019 15.00 बजे
वित्तीय निविदा के खुलने का समय दिनांक समय	23.04.2019 15.00 बजे

1. निविदा दस्तावेज को वेब साइट ([www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad](http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad) या [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in)) से डाउनलोड करना होगा और CPP पोर्टल [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा दस्तावेज शुल्क रु 500 / - (केवल पांच सौ रुपये) (गैर-वापसी योग्य) और EMD रु 20,000 / - (केवल बीस हजार रुपये) "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रा.इ.सू.प्रौ.सं" के पक्ष में "औरंगाबाद (महाराष्ट्र)" में देय अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में।

2. सीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदा जमा करने के अलावा, तकनीकी निविदा की मूल हार्ड कॉपी के साथ-साथ निविदा दस्तावेज शुल्क और ईएमडी भुगतान का मूल डिमांड ड्राफ्ट निविदा समापन की तारीख और समय पर या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंचनी चाहिए :

कार्यकारी निदेशक

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं),  
डॉ। बी.ए.एम. विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431004

3. ई-प्रोक्योरमेंट में नामांकन / पंजीकरण न करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से भाग लेने से पहले नामांकन / पंजीकरण करना चाहिए। पोर्टल नामांकन मुफ्त है।

4. निविदादाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे पार्ट -III में दिए गए निर्देशों नियम, और शर्त, विशेष रूप से अनुभाग एल - निविदा के प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया पढ़ें।

5. निविदा और सहायक दस्तावेजों को ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से अपलोड किया जाना चाहिए। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने पर निविदा दस्तावेजों की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह हार्ड कॉपी निविदादाता को निविदा के विचार के लिए पात्र होने के लिए बाध्य नहीं करेगी जब तक कि सभी प्रकार से निविदा पूरी नहीं हो जाती है और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। अपलोड की गई तकनीकी निविदा से तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी में कोई भी भिन्नता निविदा को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

6. निविदा दस्तावेज की भौतिक बिक्री नहीं की जाएगी और निविदा दस्तावेज शुल्क और ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है। निविदा दस्तावेज शुल्क और ईएमडी के बिना निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालाँकि, सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) के रूप में परिभाषित किए गए निविदादाताओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा जारी MSE प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में परिभाषित किया गया है या वे केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग में पंजीकृत होने पर EMD भुगतान से मुक्त हैं।
7. निविदादाता अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद, किसी भी स्थिति में, निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
8. इच्छुक निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षा के बाद इसके निहितार्थ की पूरी समझ के साथ निविदा का प्रस्तुतिकरण समझा जाएगा।
9. कार्यकारी निदेशक, रा.इ.सू.प्रौ.सं--औरंगाबाद बिना किसी कारण बताए, कार्य को देने / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतभेदों के मामले में, यदि कोई हो, तो रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
10. यदि रा.इ.सू.प्रौ.सं--औरंगाबाद इस निविदा दस्तावेज के किसी भी हिस्से को संशोधित करना या इस निविदा दस्तावेज के प्रावधानों की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त डेटा जारी करना उचित समझता है, तो यह इस निविदा दस्तावेज का पूरक जारी कर सकता है। इस तरह की पूरक जानकारी, सहित, किसी भी अतिरिक्त शर्तों, स्पष्टीकरण, बैठक के मिनट, ईमेल / पोस्ट पर आधिकारिक संचार, आदि तक सीमित नहीं है, जिसे रा.इ.सू.प्रौ.सं-Aurangabad वेबसाइट (<http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad>) और/ या [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पर डालकर सभी निविदादाताओं को सूचित किया जाएगा। इस तरह के किसी भी पूरक को इस निविदा दस्तावेज में इस संदर्भ द्वारा शामिल माना जाएगा।
11. रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद अपने विवेकाधिकार पर, बोलियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, और विस्तारित तिथि वेबसाइट <http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad> और <http://www.eprocure.gov.in> पर प्रदर्शित की जाएगी।
12. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद द्वारा एक महीने का नोटिस देकर बिना किसी कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
13. संस्थान किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
14. अधूरी बोलियाँ अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।
15. देर से निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

16. कार्यकारी निदेशक, रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद के किसी भी विवाद पर, इस दस्तावेज के एक भाग या पूर्ण की व्याख्या सहित अनुबंध से संबंधित या अनुबंध से संबंधित निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।
17. निविदादाता वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें सभी संबंधित जानकारी के साथ भर सकते हैं और पूर्ण दस्तावेजों को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app/> पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा में जमा कर सकते हैं।
18. पूर्व-निविदा बैठक:
- a) रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद प्रसंग की अनुसूची में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार भावी निविदादाताओं की प्री-बिड बैठक की मेजबानी करेगा। इच्छुक संगठनों के प्रतिनिधि अपनी लागत पर पूर्व-बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक का उद्देश्य कार्य के दायरे के बारे में किसी भी संदेह को स्पष्ट करना है। यह प्रत्येक निविदादाता को निविदा दस्तावेज के किसी भी पहलू के बारे में स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान करेगा। प्रत्येक निविदादाता के अधिकतम दो प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्री बिड मीटिंग का स्थान नीचे दिया गया है:
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  
सी.ई.डी.टी कॉम्प्लेक्स, डॉ बी.ए.एम. विश्वविद्यालय परिसर  
औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431004
- b) प्री-बिड मीटिंग के लिए वेन्यू और टाइम में कोई भी बदलाव रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद वेबसाइट <http://रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad/> पर प्री-बिड मीटिंग के शेड्यूल से कम से कम एक दिन पहले प्रदर्शित किया जाएगा। पूछताछ और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, को इस पते पर संबोधित करें :
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  
सी.ई.डी.टी कॉम्प्लेक्स, डॉ बी.ए.एम. विश्वविद्यालय परिसर  
औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431004
- c) पूछताछ और स्पष्टीकरण भी 03.04.2019 को या उससे पहले [store.aur@रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in](mailto:store.aur@रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in) पर ईमेल भेज सकते हैं। ई-मेल का विषय औरंगाबाद में रा.इ.सू.प्रौ.सं, हॉस्टल मेस के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जनशक्ति के आउटसोर्सिंग के संबंध में।
- d) पूर्व-निविदा बैठक के दौरान, निविदादाता स्पष्टीकरण लेने और विचार के लिए सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे। रा.इ.सू.प्रौ.सं अपने स्वयं के विवेकाधिकार में स्पष्टीकरण और इस तरह की आगे की जानकारी देने का प्रयास करेगा, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा की सुविधा के लिए उपयुक्त होगा।
- e) प्राप्त स्पष्टीकरण के संबंध में, निम्नलिखित लागू होगा
- i) रा.इ.सू.प्रौ.सं के पास किसी भी शर्त या प्रश्न पर विचार नहीं करने का अधिकार है, जो रा.इ.सू.प्रौ.सं के स्वयं के विवेकाधिकार में अस्वीकार्य है।

ii) यदि रा.इ.सू.प्रौ.सं की राय में, कुछ शर्तें स्वीकार्य हैं, पूरे / संशोधित या आंशिक रूप में, रा.इ.सू.प्रौ.सं द्वारा एक ही संशोधित और अंतिम रूप दी गई शर्तों और स्वीकृत शर्तों, यदि कोई हो, रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद वेबसाइट [http://रा.इ.सू.प्रौ.सं .gov.in/auranganbad](http://रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/auranganbad) पर पोस्ट की जाएगी।

**भाग- I**

हॉस्टल मेस. रा.इ.सू.प्रौ.सं. औरंगाबाद के लिए मैनपावर की आउटसोर्सिंग के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु निविदा

कालक्रम

निविदा संख्या	रासं.प्रौ.सू.इ.-A/प्रशासन/छात्रावास-मेस/01/ 2018-2019
पेशकश की जाने वाली सेवाएं	रासं.प्रौ.सू.इ. औरंगाबाद में हॉस्टल मेस के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जनशक्ति आउटसोर्सिंग
स्पष्टीकरण / पूछताछ के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण	मेस समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ बीएएम यूनिवर्सिटी कैंपस, औरंगाबाद - 431 004
निविदा दस्तावेज की लागत (गैर-वापसी योग्य)	रु 500 / - (रुपये पांच सौ केवल), लागू के रूप में जीएसटी का समावेश
अनुबंध कार्य की अनुमानित लागत	रु 10,00,000 / - (रु दस लाख) प्रति वर्ष
बयाना राशि जमा (EMD)	रु 20,000 / - ((रुपये बीस हजार केवल)
प्रकाशन तिथि	26-03-2019
वेबसाइट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट निविदा दस्तावेजों, कोरिगेंडम, ऐडेंडम्स आदि	<a href="http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad">http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad</a> या <a href="http://www.eprocure.gov.in">www.eprocure.gov.in</a>
प्री-बिड मीटिंग	04-04-2019 को 14:00 बजे
निविदा जमा करने की तिथि और समय	18-04-2019 15:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि और समय	22-04-2019 को 15:00 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि और समय	23-04-2019 को 15:00 बजे
तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने के लिए पता (निविदा दस्तावेज शुल्क और ईएमडी सहित) निविदा लगाने की अंतिम तिथि और समय से पहले	कार्यकारी निदेशक रासं.प्रौ.सू.इ. औरंगाबाद डॉ बी.ए.एम. विश्वविद्यालय परिसर औरंगाबाद: 431 004
तकनीकी और वित्तीय निविदा के लिएस्थान	रासं.प्रौ.सू.इ. औरंगाबाद कार्यालय
निविदा दस्तावेज और वित्तीय निविदा की वैधता	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 180 (एक सौ और अस्सी) दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति मान्य होगी। कम वैधता अवधि वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

अस्वीकरण

यह निविदा रा.इ.सू.प्रौ.सं.-औरंगाबाद द्वारा एक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि योग्य निविदादाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक निमंत्रण है। कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक नहीं होगा जब तक कि निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न न हो जाए और जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं और निविदा लगाने वाले रा.इ.सू.प्रौ.सं.-औरंगाबाद के विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

प्रमुख (प्रशासन)  
रा.इ.सू.प्रौ.सं.-औरंगाबाद



पृष्ठभूमि और कार्य का दायरा**A. पृष्ठभूमि**

वर्ष 1987 में स्थापित रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद केंद्र (तत्कालीन CEDTI), भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्षमता निर्माण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (रा.इ.सू.प्रौ.सं) के 42 केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र है। डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद के अंदर स्थित; कैंपस लगभग 14 अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं और मैकेनिकल कार्यशाला के साथ, 18 एकड़ से अधिक में फैला हुआ है; एक समृद्ध पुस्तकालय के अलावा, छात्रों के लिए जिमनेजियम, ऑडिटोरियम, कैटीन, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉली बॉल ग्राउंड, खो खो मैदान, आदि।

केंद्र की मुख्य भूमिका इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद डिजाइन और विकास, विनिर्माण (इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल) प्रौद्योगिकी, एप्लाइड अनुसंधान और सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में कंसल्टेंसी को प्रशिक्षित करना है।

केंद्र निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहा है:

- आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उद्यमी को विकसित करने के लिए शिक्षण, सीखने और अनुसंधान में उत्कृष्टता के साथ-साथ एक अभिनव, उद्यमशीलता की भावना लाना।
- सब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से IECT और संबद्ध क्षेत्रों में जान-आधारित कौशल सेट के साथ उद्योग-तैयार गुणवत्ता वाले पेशेवरों को उत्पन्न और अद्यतन रखने के लिए।
- विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षा और प्रमाणन की गुणवत्ता प्रणाली स्थापित करना और छात्रों की योग्यता का उचित मूल्यांकन प्रदान करना
- इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और औद्योगिक डिजाइन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, उद्यमियों, विशेषज्ञों और डिजाइनरों को विकसित करने के लिए, अनुसंधान एवं विकास को अंजाम देना और IECT में औद्योगिक परामर्श प्रदान करना
- इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक डिजाइन पद्धति और उत्पादन तकनीक में ई-प्रशिक्षण प्रदान करना

रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद केंद्र IECT के क्षेत्रों में औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले औपचारिक क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक मांग एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डीईपीएम, बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग), एम.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम शामिल हैं। यह केंद्र डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद का शोध केंद्र भी है, जो शोध के लिए पीएच.डी. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री। इसके अलावा, यह इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और रखरखाव में डिप्लोमा कार्यक्रम भी करता है। केंद्र समय-समय पर सेना के लोगों, सार्वजनिक कर्मियों, शिक्षकों और सामान्य छात्रों के लिए कुछ आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

## B. कार्य का दायरा

i. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, औरंगाबाद को आवश्यक जनशक्ति और अन्य आवश्यक बर्तन / आइटम / गैस आदि प्रदान करने के लिए औरंगाबाद में रा.इ.सू.प्रौ.सं में हॉस्टल मेस चलाने के लिए प्रतिष्ठित अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से स्वस्थ पेशेवर निविदादाताओं की सेवाओं की आवश्यकता है रसोइया, अन्य सहायक कर्मचारी, बर्तन, फ्रीजर इत्यादि सहित गड़बड़ सेवाएं। तैनात मैनपावर को मेनू के अनुसार नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना तैयार करना होता है। हालांकि, आवश्यक कच्चा माल रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद के परिसर में तैनात निविदादाता के कर्मचारियों को जरूरत के आधार पर प्रदान किया जाएगा और अप्रयुक्त सामग्री को उसी दिन वापस किया जाना चाहिए।

ii. अनुरोध प्राप्त होने पर, चयनित बोलीदाता को प्रत्येक पद के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को सशक्त करने की आवश्यकता होगी।

iii. वर्तमान में, जनशक्ति की आवश्यकता इस प्रकार है:

क्र	जनशक्ति के विशेष विवरण	श्रेणी	आवश्यक जनशक्ति
1	कुक	कुशल	1
2	सहायक कुक	अर्ध कुशल	1
3	चपाती मेकर कम डिश वॉशर	अर्ध कुशल	2
4	Janitor Cum सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	अकुशल	1

यदि आवश्यक निविदा लगाने वाले को सूचना के 5 (पांच) दिनों के भीतर अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती के लिए कहा जा सकता है।

iv. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के परिसर में तैनात बोलीदाता के कर्मचारी तैयार रहेंगे और नीचे दिए गए समय पर भोजन उपलब्ध कराएंगे:

- नाश्ता - सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक
- दोपहर का भोजन - दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक
- डिनर - शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक

ऊपर दिए गए समय के अनुसार निविदा लगाने वाले कर्मचारी सख्ती से पालन करते हैं। विक्रेता को दैनिक आधार पर रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के लगभग 100 छात्रों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना आदि प्रदान करना आवश्यक है।

v. हॉस्टल मेस परिसर में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। मीटर। रसोई, खाना पकाने, स्टोर रूम, पेंट्री और भोजन के लिए जगह शामिल है। संस्थान द्वारा फर्नीचर, कच्चा माल, सफाई सामग्री, बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, मैनपावर, बर्तन, गैस कनेक्शन, रेफ्रिजरेटर और किसी भी अन्य खाना पकाने के उपकरण / भोजन के लिए पर्याप्त आकार / क्षमता के उपकरण निविदादाता द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे। हालांकि, रिफिलिंग के गैस सिलेंडर शुल्क वास्तविक रूप से संस्थान द्वारा वहन / प्रतिपूर्ति किए

जाएंगे। रेफ्रिजरेटर और अन्य खाना पकाने के उपकरण / उपकरण की मरम्मत और रखरखाव के मामले में, निविदा लगाने वाला उसी के लिए प्रतिस्थापन करेगा और मरम्मत और रखरखाव की लागत निविदा लगाने वाले द्वारा वहन की जाएगी।

- i. बोलीदाता औरंगाबाद के रा.इ.सू.प्रौ.सं के हॉस्टल मेस के फर्नीचर और परिसर का उपयोग करेगा और उचित देखभाल और सावधानी बरतनी होगी। रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद के हॉस्टल मेस के फर्नीचर और परिसर को किसी भी क्षति के मामले में , किसी भी कार्रवाई (एस) के कारण सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाने वाले के लिए , बोली लगाने वाले से वास्तविक रूप से लागत वसूल की जाएगी।
- ii. मेस कमेटी की सिफारिश के अनुसार नियमित अंतराल पर मेनू को अक्सर बदला जा सकता है। बोलीदाता को मेस समिति या छात्र मेस समिति से अनुमोदित मेनू मिलेगा। मेस कमेटी या स्टूडेंट मेस कमेटी द्वारा अनुमोदित हॉस्टल मेस में दी जाने वाली वस्तुओं के लिए एक विस्तृत मेनू का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- iii. बोलीदाता अपने साथ सगाई करने की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा तैनात कर्मियों को मजदूरी आदि का भुगतान करेगा
- iv. बोलीदाता को इस अनुबंध के तहत किसी भी समय तैनात अपने कर्मचारियों को उचित वर्दी और पहचान पत्र जारी करना चाहिए ताकि संस्थान द्वारा उनकी पहचान का सत्यापन किया जा सके। मेस में कर्मचारियों की तैनाती से पहले , बोलीदाता को व्यक्तियों के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना चाहिए, कर्मियों का उचित रिकॉर्ड रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कर्मिकों की तैनाती में किसी भी परिवर्तन को हमेशा रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को सूचित किया जाना चाहिए।
- v. दक्षता, मुस्तैदी, भोजन की गुणवत्ता , अच्छे व्यवहार और बोली लगाने वाले की विनम्रता और उसके तैनात मेस कर्मियों को अनुबंध का सार है।
- vi. संस्थान के पास बोलीदाता द्वारा तैनात किए गए मेस कर्मियों को रहने की जगह उपलब्ध कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- vii. Janitor का उपयोग रसोई / खाना पकाने के काम के लिए और पके हुए खाद्य पदार्थों को परोसने के लिए नहीं किया जाएगा।
- viii. आवश्यकता पड़ने पर अपने कमरे में बीमार लड़कों / लड़कियों को भोजन भी परोसा जाता है।
- ix. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा तैनात किए गए मेस कर्मी शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट हों और उन्हें कोई संचारी रोग न हो।

### **C. स्वच्छता और स्वच्छपन**

- i. किचन, डाइनिंग हॉल, हैंड वॉश एरिया, डिश वॉश एरिया आदि को पानी और सफाई के घोल से धोया जाएगा और भोजन के बाद (नाश्ता, दोपहर का भोजन, स्नैक्स और डिनर) और महीने में एक बार या जब और जब यह कीटाणुरहित होगा की आवश्यकता है।

- ii. हॉस्टल मेस परिसर / वॉश रूम को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए बोली लगाने वाले की यह एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता को रसोई और अन्य अपशिष्टों को उपयुक्त तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। रसोई, डाइनिंग हॉल और डिश वॉशिंग क्षेत्र से एकत्र कचरे को तुरंत निपटाया जाना चाहिए। हॉस्टल मेस से संबंधित जल निकासी, अपशिष्ट जल आदि का रखरखाव बोलीदाता द्वारा अपने खर्च पर किया जाना चाहिए।
- iii. बोलीदाता को निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा:
  - a) स्टोर रूम सहित दिन में दो बार रसोई क्षेत्र की सफाई करना, दिन के अंत में गर्म पानी में जहाजों को भिगोना, डिटर्जेंट का उपयोग करके गर्म पानी से धोया जाने वाला क्रॉकरी;
  - b) रेफ्रिजरेटर, बोटल-कूलर और वॉटर कूलर की पूरी सफाई, सप्ताह में एक बार;
  - c) कीटनाशकों का समय-समय पर छिड़काव;
  - d) दिन के अंत में डिटर्जेंट और पानी के साथ डाइनिंग टेबल की सफाई करना;
  - e) दिन के अंत में डिटर्जेंट के साथ वॉश बेसिन की सफाई
- iv. बोलीदाता हर समय रसोई और डाइनिंग हॉल में और उसके आसपास के सभी नालों की निकासी सुनिश्चित करेगा और कैंपस परिसर से बार-बार और नियमित रूप से अपशिष्ट भोजन लेख और अन्य कचरे का निपटान सुनिश्चित करेगा। बोलीदाता नियमित और शीघ्र संग्रह और दिन के आधार पर रसोई में उत्पन्न कचरे के निपटान के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- v. रसोई घर, डाइनिंग हॉल, डिश वॉश क्षेत्र से एकत्र किए गए कचरे का निपटान हर सुबह बंद डिब्बे में किया जाएगा। परिवेश को स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।
- vi. हर समय रसोई और भोजन कक्ष में स्वच्छता, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखा जाना चाहिए। संस्थान के प्राधिकार के निर्देशानुसार वाटर कूलर और शोधक को साफ किया जाना चाहिए।
- vii. बोलीदाता द्वारा हर समय तैनात मेस कर्मियों को रसोई / डाइनिंग हॉल / वाशिंग क्षेत्र को मक्खियों / तिलचट्टे / मच्छरों / चूहों और अन्य कीटों से मुक्त रखेगा

#### **D. बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी**

1. बीआईईएलआईटी द्वारा गठित समिति द्वारा नियमित रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए बोलीदाता द्वारा तैनात किए गए भोजन की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।
2. बोलीदाता को हॉस्टल मेस के भोजन पकाने के लिए वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की व्यवस्था करनी है। बोलीदाता को बर्तनों की व्यवस्था करना है, व्यंजन / प्लेट आदि की सेवा करना है और अन्य सभी चीजों को भोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है।
3. भोजन को हाइजीनिक परिस्थितियों में पकाया, संग्रहीत और परोसा जाना चाहिए। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ताजा पकाया हुआ भोजन ही परोसा जाए और बासी भोजन को पुनर्नवीनीकरण और परोसा न जाए। बासी भोजन को जल्द से जल्द मेस परिसर से हटा दिया जाएगा। गर्मियों में चार घंटे के भीतर और अन्य महीनों में छह घंटे के भीतर नहीं पकाए जाने वाले

पका हुआ भोजन, बासी और खपत के लिए अयोग्य माना जाएगा। बोलीदाता रात्रिभोज के लिए दोपहर के भोजन के समय तैयार की गई वस्तुओं की सेवा नहीं करेंगे। इसी तरह , बोलीदाता अगले दिन के नाश्ते / दोपहर के भोजन के लिए तैयार किए गए सामानों की सेवा नहीं करेगा। छात्रों / वार्डन से इस संबंध में प्राप्त कोई भी शिकायत अनुबंध को रद्द करने की ओर ले जाएगी। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि केवल गर्म भोजन परोसा जाए। शिकायत , यदि कोई हो, इस संबंध में गंभीर रूप से निपटा जाएगा।

4. निडर, औरंगाबाद के हॉस्टल मेस में बासी भोजन / अनुचित स्वच्छता रखरखाव के वितरण के कारण होने वाली किसी भी तरह की खाद्य विषाक्तता या किसी भी अप्रिय घटना / घटनाओं के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।
5. विभिन्न सेवाओं के लिए संस्थान में तैनात मेस कर्मियों को तंबाकू उत्पादों का धूम्रपान / उपयोग नहीं करना चाहिए या परिसर में मादक पेय का उपयोग नहीं करना चाहिए।
6. बोलीदाता अगले महीने की 7 तारीख तक खाता दाता चेक / बैंक स्थानांतरण के माध्यम से रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में तैनात कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करेगा। यदि चयनित बोलीदाता उचित औचित्य के बिना अगले महीने के 7 वें दिन रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में तैनात कर्मियों को वेतन जारी करने में विफल रहता है, तो इसे देर से भुगतान माना जाएगा। देर से भुगतान को अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा , और रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को काम के आदेश को रद्द करने और कानून के अनुसार किसी अन्य कार्रवाई करने के अलावा प्रदर्शन सुरक्षा जमा को रद्द करने का अधिकार है।
7. डिफॉल्टिंग बोलीदाता (सेवाओं को निष्पादित करने में) वर्क ऑर्डर के मूल्य के 5% के कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (विशिष्ट कार्य आदेश के तहत जनशक्ति को भुगतान किए जाने वाले मासिक समेकित वेतन का योग), जो होगा लंबित बिलों या सिक्योरिटी डिपॉजिट या दावों को बढ़ाकर महसूस किया जा सकता है।
8. बोलीदाता किशोर या बाल श्रमिकों को रोजगार नहीं देगा। यह विभिन्न औद्योगिक और श्रम कानूनों और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वैधानिक देनदारियों सहित विभिन्न वैधानिक नियमों का पालन करने के लिए बोलीदाता की अनन्य जिम्मेदारी होगी।
9. बोलीदाता संस्थान में सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल , ज्ञान, स्वभाव, अनुशासन आदि रखने वाले व्यक्तियों को ही तैनात करेगा।
10. बोलीदाता संस्थान के निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा, इस अनुबंध के तहत उसके द्वारा तैनात किसी भी कर्मिक के निर्देश के 48 घंटे के भीतर प्रतिस्थापित करने के लिए उचित , पर्याप्त और निरंतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्थानापन्न पोस्ट करने के लिए तत्काल व्यवस्था करेगा। । बोली लगाने वाले की विफलता के मामले में, इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद को काम के आदेश को रद्द करने और किसी अन्य कार्रवाई करने के अलावा प्रदर्शन सुरक्षा जमा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. बोलीदाता अपने द्वारा लगाए गए कर्मिकों के रोजगार , आयु और कामकाजी स्थितियों सहित सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन और पालन करेगा।

12. बोलीदाता इस अनुबंध के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति (पकाया हुआ और पैक की गई वस्तुओं) के संबंध में सभी अधिनियमों, नियमों और वैधानिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और गैर से उत्पन्न किसी भी देनदारियों के खिलाफ संस्थान को निंदनीय बनाए रखेगा। उनकी ओर से किसी भी अधिनियम, नियम या आदेशों का अनुपालन।
13. ठेकेदार तैयार खाद्य पदार्थों के संबंध में सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनका पालन करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा, और भोजन की तैयारी, भंडारण और बिक्री के संबंध में किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, और वजन और माप अधिनियम और सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्रावधानों के तहत बनाया गया।
14. बोलीदाता द्वारा तैनात किए गए कार्मिक किसी भी हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन, बंद, हरताल आदि में भाग नहीं लेंगे। उन्हें अच्छी तरह से बर्खास्त किया जाना चाहिए और रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद के छात्रों और कर्मचारियों के लिए विनम्र होना चाहिए।
15. किसी भी दुर्व्यवहार या उसके द्वारा तैनात कर्मियों में से किसी की ओर से कर्तव्य की लापरवाही के मामले में, बोलीदाता संस्थान में तैनाती से ऐसे व्यक्ति (ओं) को तुरंत बदल देगा

### **E. निविदा लगाने वाले से आवश्यकता**

- a) संस्थान द्वारा बोलीदाता को खाद्य सामग्री, और सफाई सामग्री प्रदान की जाएगी। रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के प्राधिकृत अधिकारी दिन के आधार पर खाना पकाने के लिए सामग्री जारी करेंगे और शेष सामग्री उसी दिन अधिकृत अधिकारी को वापस कर दी जानी चाहिए।
- b) बोलीदाता वाटर कूलर आदि की साफ-सफाई का ध्यान रखकर शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएगा।
- c) बोलीदाता की तैनात जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार करेगी, ताकि पके हुए भोजन का अपव्यय न हो। मेस कमेटी के निर्देशानुसार बोलीदाता बचे हुए को व्यवस्थित करेगा और उसका निपटान करेगा।
- d) भोजन मेनू के अनुसार स्वच्छ, स्वच्छ और सुरक्षित परिस्थितियों में तैयार किया जाएगा। भोजन न तो बहुत मसालेदार होगा और न ही बहुत अधिक तैलीय। भोजन की तैयारी पूर्ण होगी और आमतौर पर रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के छात्रों के स्वाद को पूरा करेगा। रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के छात्र पूरे भारत से हैं।
- e) भोजन को साफ बर्तनों में पकाया और परोसा जाएगा और इस संबंध में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बर्तनों को हर समय साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
- f) बोलीदाता मेस कमेटी / रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सभी निर्देशों को लागू करेगा
- g) इंस्टीट्यूट द्वारा बोलीदाता को प्रदान किए गए एसेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए और बोलीदाता द्वारा किसी भी नुकसान / टूटने / नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।

**भाग-III**  
**नियम और शर्तें**

**A. परिभाषा:**

1. "संस्थान" शब्द का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (रा.इ.सू.प्रौ.सं ), औरंगाबाद होगा, जो कि रा.इ.सू.प्रौ.सं , नई दिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी, सरकार का एक केंद्र है। भारत का, और "बोलीदाता" शब्द का अर्थ होगा अनुबंध के पुरस्कार के लिए चयनित एजेंसी।
2. रा.इ.सू.प्रौ.सं सेंटर हॉस्टल मेस छात्रों और उन लोगों के लिए है जो सीधे केंद्र के कामकाज से जुड़े हैं।

**B. अनुबंध की अवधि और समाप्ति**

- a) अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी। संस्थान की आवश्यकता, बोलीदाता के संतोषजनक प्रदर्शन और मेस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसी तरह , कम या बड़ी अवधि के लिए रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद के विवेक पर अनुबंध को नवीनीकृत / विस्तारित किया जा सकता है।
- b) रा.इ.सू.प्रौ.सं के छात्रों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए बोलीदाता और बोलीदाता की विफलता से असंतोषजनक सेवा की स्थिति में एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को किसी भी समय संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

**C. पात्रता मानदंड**

- i) बोलीदाता को न्यूनतम 1 वर्ष के लिए गड़बड़ गतिविधियों को करने के लिए कर्मियों की तैनाती की सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में होना चाहिए था (व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण सुसज्जित होना चाहिए)। साथ ही बोलीदाता के पास श्रम लाइसेंस सहित सभी अपेक्षित लाइसेंस होने चाहिए और उसी की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ जमा की जानी चाहिए।
- ii) बीडर का टर्नओवर पिछले 1 वर्ष के लिए सकारात्मक नेट वर्थ का होना चाहिए जो वर्तमान वित्तीय वर्ष ( VI 2018-2019) को तुरंत आगे बढ़ाए और इन वर्षों के दौरान घाटे की स्थिति में न हो।
- iii) पिछले एक वर्ष के दौरान, बोली लगाने वाले को सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों या ख्याति के संगठनों के साथ इसी तरह के अनुबंधों को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए था।
- iv) अनुबंध (एस) के संतोषजनक समापन के प्रमाण पत्र, जो शर्त को पूरा करते हैं [iii] क्लाइंट (एस) द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- v) बोलीदाता को दुकान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए (प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)
- vi) बोलीदाता को ESIC के साथ पंजीकृत होना चाहिए (प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)
- vii) बोलीदाता के पास अपने कर्मचारियों के संबंध में EPF को संसाधित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय या किसी भी संबंधित भविष्य निधि प्राधिकरण के पास पंजीकरण होना चाहिए (प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए)

- viii) मैनपावर सोर्सिंग से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए बोलीदाता को माल सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण के तहत पंजीकृत होना चाहिए (प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।
- ix) बोली लगाने वाले के पास पैन कार्ड होना चाहिए और उसकी एक प्रति तकनीकी बोली के साथ जमा की जानी चाहिए।
- x) बोली लगाने वाले के पास खाद्य और सुरक्षा विभाग या इसी तरह के संगठन / परामर्श प्राधिकरण से लाइसेंस होना चाहिए
- xi) एक उपक्रम (सेल्फ सर्टिफिकेट) जो बोलीदाता किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार के संगठनों द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
- xii) टेंडर डॉक्यूमेंट फीस और EMD के लिए औरंगाबाद में देय रा.इ.सू.प्रौ.सं के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट अलग से प्रस्ताव के साथ संलग्न होना चाहिए।
- xiii) बोलीदाता को एफएसएसआई के तहत वैध पंजीकरण लेना चाहिए। बोलीदाता खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत लाइसेंस और क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा , जो कि व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है / हॉस्टल मेस में काम कर रहा है।
- xiv) बोलीदाता यह लिखित रूप में घोषित करेगा कि उसका कोई भी साथी / सहयोगी / कर्मचारी किसी भी तरह से रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद और / या रा.इ.सू.प्रौ.सं , नई दिल्ली के किसी भी अधिकारी से संबंधित नहीं है , जिसके केंद्र उसके नियंत्रण में हैं।
- xv) विधिवत रूप से बोलीदाता द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति हॉस्टल मेस में हर समय काम के दौरान उपलब्ध होना चाहिए। अपने मोबाइल के साथ अधिकृत व्यक्ति का नाम / संपर्क नं। रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। बोली लगाने वाले को चौबीसों घंटे सुलभ होना चाहिए।
- xvi) बोलीदाता को न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत करना चाहिए और "सामान्य निर्देशों" में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करना चाहिए।
- xvii) वित्तीय खड़ा सहित बिड के सभी क्रेडेंशियल , सरकार के साथ पंजीकरण। , सरकार के साथ समर्थन या संबंध रखना। विभाग / संगठन, गैर-सरकारी। स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक निकाय, स्थानीय सरकार, नागरिक निकाय और सार्वजनिक संस्थान / संगठन आदि ऐसे संस्थानों , विभागों, संगठनों आदि के साथ पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड के साथ, जब भी संस्थान द्वारा मांग की जाती है, सत्यापन के लिए मूल रूप में उत्पादित किया जाना है।

**xviii) प्रदर्शन सुरक्षा जमा / ईएमडी का रिफंड**

- a) अनुबंध के पुरस्कार के सात (07) दिनों के भीतर सफल आपूर्तिकर्ता / बोलीदाता प्रदर्शन सुरक्षा जमा प्रदान करेगा। प्रदर्शन सुरक्षा जमा रुपये की राशि के लिए होगा। 75,000 / - (रुपय सत्तर पांच हजार केवल)। प्रदर्शन सुरक्षा "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (रा.इ.सू.प्रौ.सं )" के पक्ष में "औरंगाबाद (महाराष्ट्र)" में देय अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- b) प्रदर्शन सुरक्षा जमा की आय रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को देय होगी जो अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए आपूर्तिकर्ता / बोलीदाता की विफलता के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान (अवसर, समय या लागत के नुकसान सहित) के मुआवजे के रूप में होगी।



- c) प्रदर्शन सुरक्षा जमा सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
- d) प्रदर्शन सुरक्षा जमा के अनुबंध और प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने के बाद ही चयनित बोलीदाता को ईएमडी वापस किया जाएगा।
- e) अनुबंध के अवाई या निविदा को अलग करने के 30 दिनों के भीतर ब्याज के बिना असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है।

**xix) EMD जब्त:**

EMD जब्त कर लिया जाएगा:

- i) यदि बोली लगाने और प्रस्तुत करने / स्वीकृति के बाद बोली लगाने वाला बोली वापस लेता है;
- ii) यदि बोलीदाता बोली को वापस लेता है, या एकतरफा संशोधन करता है, तो बोली की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले या विशेष रूप से रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद द्वारा दिए गए विस्तार के समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को लागू करता है या बोली को समाप्त होने से पहले संप्रेषित करता है ;
- iii) यदि बोलीदाता बोली विनिर्देश के नियमों और शर्तों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है;
- iv) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
- v) यदि बोलीदाता जाली दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या किसी भी तरीके से निविदा नियमों और शर्तों या भाषा / शब्दों को बदल देता है

**xx) प्रदर्शन सुरक्षा जमा (PSD) का लाभ:**

प्रदर्शन सुरक्षा जमा निम्नलिखित मामलों में जब्त / आमंत्रित किया जाएगा: -

- i. जब अनुबंध की कोई भी शर्त और शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- ii. जब बोलीदाता कार्य आदेश को आंशिक रूप से निष्पादित करने के बाद डिलिवरेबल्स प्रदान करने में विफल रहता है या ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।
- iii. EMEL और प्रदर्शन सुरक्षा जमा राशि पर रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- iv. एनआईएलआईटी-औरंगाबाद के किसी भी अन्य अधिकार के बिना अर्जित धन जमा / प्रदर्शन सुरक्षा जमा का जब्त करना कानून के तहत किसी भी नुकसान का दावा करने के साथ-साथ ठेकेदार / बोलीदाता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए भी होगा जैसे कि भविष्य के व्यापार संबंध या काले रंग को खत्म करना। लिस्टिंग, आदि, जैसा कि फिट माना जा सकता है।
- v. बोली लगाने वाले को निर्धारित प्रोफार्मा में दो भागों में अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।

- vi. GFR 2017 के अनुसार, नियम 173 (i) (h) यदि कोई बोलीदाता 'NIL' सेवा शुल्क / विचार को उद्धृत करता है, तो बोली को गैर-जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii. बोली प्रोफार्मा सहित बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण / शुद्धता के टोकन में एक मोहर लगाई जाती है।

#### **D. सेवाएं प्रदान करना / समर्थन**

- i. बोलीदाता, रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद द्वारा वर्क ऑर्डर / आवश्यकता रखने के 7 कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षित मैनपावर की तैनाती करेगा।
- ii. तैनात संसाधनों के लिए, बोलीदाता अपने साथ अपने पुलिस सत्यापन को पूरा करेगा और मूल पुलिस सत्यापन को रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में खुद के साथ कॉपी रखते हुए प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता वर्तमान और स्थायी पते (प्रमाण के साथ), शैक्षिक और तकनीकी योग्यता विवरण, नमूना हस्ताक्षर, तैनात संसाधनों के दो पासपोर्ट आकार के फोटो और आवश्यकता के अनुसार इन विवरणों / सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद को आवश्यकतानुसार रखेगा।
- iii. चयनित बोलीदाता अपनी संसाधनों की योग्यता के दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही तैनात संसाधनों को नियुक्ति आदेश जारी करेगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद को उसी की एक प्रति प्रदान करेगा। तैनात मैनपावर को बोलीदाता द्वारा आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसे तैनात किया गया व्यक्ति हमेशा अपने साथ रखेगा और मांग पर दिखाएगा। यह कार्यस्थल पर तैनात कर्मियों के पक्ष में जारी एंट्री पास के अलावा सुरक्षित क्षेत्र / कार्यालय परिसर में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए होगा।
- iv. चयनित बोलीदाता से काम पर रखे गए कर्मचारी अध्यक्ष, मेस कमेटी / नामित अधिकारी, रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को रिपोर्ट करेंगे, जो उन्हें आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्य सौंपेंगे।

#### **E. भुगतान:**

- i. भुगतान चयनित बोलीदाता से प्राप्त पूर्व-प्राप्त बिलों के खिलाफ मासिक आधार पर जारी किया जाएगा , यह पता लगाने के बाद कि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक थी और सभी कार्मिक बिल द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उपस्थित थे।
- ii. प्रति दिन आठ घंटे की ड्यूटी की उपस्थिति के अनुसार जनशक्ति का भुगतान वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- iii. संस्थान के मानदंडों के अनुसार वर्ष में दो बार सेमेस्टर ब्रेक होगा। तदनुसार , मैनपावर और सर्विस चार्ज का भुगतान सेमेस्टर ब्रेक के उस महीने के दौरान आनुपातिक रूप से जारी किया जाएगा।
- iv. प्रत्येक कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान प्रचलित न्यूनतम मजदूरी और अनिवार्य वैधानिक शुल्क के अनुसार होगा। सामाजिक प्रतिभूति और किसी अन्य राशि का भुगतान चयनित बोलीदाता द्वारा कर्मचारियों को किया जाना है , इस प्रकार, बोलीदाता को ऐसे सभी घटकों को शामिल करते हुए अपने सेवा प्रभार के लिए उद्धरण देना चाहिए। बोलीदाता द्वारा तैनात कर्मियों को भुगतान अगले

महीने की 7 तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए और चयनित बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए केंद्र से भुगतान के साथ कर्मियों का भुगतान जुड़ा नहीं है।

- v. चयनित बोलीदाता उपस्थिति पत्रक , भुगतान रसीद , ईपीएफ जमा चुनौती , ईपीएफ जमा के लिए ईसीआर, ईएसआई जमा के लिए ईएसआर जमा चुनौती , ईएसआई जमा के लिए हर महीने बिल के साथ तैनात कर्मियों के जमा करेगा, जो कि भुगतान नहीं किया जा सकता है रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद द्वारा।
- vi. चयनित बोलीदाता अगले महीने की 7 तारीख तक रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान खाता चेक / बैंक हस्तांतरण के माध्यम से करेगा , उसी का प्रमाण रा.इ.सू.प्रौ.सं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- vii. निविदा लगाने वाला सभी तैनात कर्मियों को ईपीएफ खाता संख्या और ईएसआई कार्ड प्रदान करेगा।
- viii. चयनित निविदादाता, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पहले बिल के साथ तैनात संसाधनों के लिए जारी किए गए नियुक्ति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
- ix. अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि किसी भी कारण से नहीं की जाएगी , सिवाय इसके कि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि या महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद क्षेत्र के लिए लागू होने वाली नई वैधानिक शुल्कों को लागू करने के मामले में, जनशक्ति दरों को आनुपातिक रूप से संशोधित किया जाएगा।
- x. चयनित निविदादाता को मासिक बिल के साथ एक प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना और प्रस्तुत करना होगा कि रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के अनुरोध पर तैनात कर्मियों को भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के सख्त अनुपालन में किया गया है और सांविधिक खाते के लिए आवश्यक भुगतान उदाहरण के लिए प्रावधान ईएसआई / ईपीएफ / ग्रेच्युटी, आदि को संबंधित अधिकारियों के पास जमा किया गया है , जो विफल होने पर अनुबंध को न केवल समाप्त कर दिया जाएगा और प्रदर्शन सुरक्षा जमा को जब्त नहीं किया जाएगा , बल्कि किसी अन्य कार्रवाई के रूप में, जिसे रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद द्वारा फिट माना जाएगा।
- xi. ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम , मजदूरी अधिनियम, 1936 के भुगतान के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम , 1952, बोनस अधिनियम , 1965 का भुगतान , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , १ ९ ४ Act, नियोक्ता का दायित्व अधिनियम, १ ९ २३, बच्चों का रोजगार अधिनियम , १ ९ ३48 और / या किसी भी अन्य नियम / विनियम और / या मूर्तियाँ जो उन पर लागू हो सकती हैं और रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद को चूक के सभी कृत्यों की निंदा करेंगे। गलती , उल्लंघनों और / या किसी भी दावे , मांग; नुकसान; चोट और व्यय पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होते हैं।
- xii. ठेकेदार की असफलताओं के कारण यहां और / या उक्त अधिनियम के नियमों / विनियमों और / या किसी भी उपनियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता, औरंगाबाद, इन खर्चों के किसी भी नुकसान की वसूली के लिए हकदार होगा , औरंगाबाद ठेकेदार के मासिक भुगतान से इस तरह के दावों , मांगों, नुकसान या चोट के कारण इसे भुगतान या नुकसान उठाना पड़ सकता है।

xiii. चयनित निविदादाता रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में इसके द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों की एक व्यापक सूची प्रस्तुत करेगा , जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएफ खाता संख्या और ईएसआई कार्ड नंबरों का विवरण होगा और जब एक नया कर्मी तैनात किया जाएगा निविदादाताओं द्वारा, उक्त कर्मियों के संबंध में इस तरह के विवरण को उनकी तैनाती के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

xiv. अनुबंध के पूरा होने / समाप्ति से 30 दिनों के बाद अंतिम बिल का भुगतान किया जाएगा।

xv. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान में उनके द्वारा तैनात किए गए कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जाए और ईएसआई और ईपीएफ के तहत कवर किया जाए। निविदादाता भी अपने / अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि, E.S.I की सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। और अन्य सभी वैधानिक दायित्व। रा.इ.सू.प्रौ.सं- औरंगाबाद को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रधान कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद में उसके द्वारा तैनात निविदादाता और जनशक्ति के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए पक्ष नहीं होगा।

#### **F. गैर प्रदर्शन और गैर-भुगतान के लिए पेनल्टी**

i. किसी भी दोष / कमी की स्थिति में , खाद्य की गैर-स्वच्छता और असंतोषजनक गुणवत्ता , निविदादाता द्वारा प्रदान की गई सेवा में , अनुबंध की मुद्रा के दौरान किसी भी समय , या निर्देशों को लागू करने के लिए निविदादाता की ओर से विफलता पर। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी , संस्थान न्यूनतम रु। का जुर्माना लगाएगा। 1000 / - (रुपए एक हजार केवल) प्रति अवसर या किसी भी उच्च राशि जो निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाएगा, असफल होने पर जो कि उसकी सुरक्षा जमा से वसूला जा सकता है। यदि ऐसी घटनाएं एक वर्ष में 05 से अधिक बार पाई जाती हैं , तो कार्य आदेश / अनुबंध प्रदर्शन सुरक्षा जमा को जब्त करने के साथ ही रद्द कर दिया जाता है। उपरोक्त दंड के अतिरिक्त कार्य आदेश रद्द करने के शुल्क लागू होंगे। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और निविदादाता पर बाध्यकारी होगा।

ii. जब और जब कोई कर्मचारी अनुपस्थित होता है , तो निविदादाता द्वारा रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद को सूचना के तहत प्रतिस्थापन तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह से गड़बड़ सेवाओं का सुचारू संचालन बाधित न हो। अन्यथा , रुपये का जुर्माना। 500 / - प्रति दिन प्रति व्यक्ति 05 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए लगाया जाएगा। यदि ऐसी घटनाएं एक वर्ष में 05 से अधिक बार पाई जाती हैं , तो कार्य आदेश / अनुबंध प्रदर्शन सुरक्षा जमा को जब्त करने के साथ ही रद्द कर दिया जाता है। उपरोक्त दंड के अतिरिक्त कार्य आदेश रद्द करने के शुल्क लागू होंगे।

iii. यदि मेस सेवाओं को चलाने के लिए वैकल्पिक मेस की व्यवस्था की जानी है , तो वास्तविक के अनुसार शुल्क निविदादाता को वहन करना होगा।

#### **G. निविदा लगाने वाले की अयोग्यता**

(a) किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड या अन्यथा पदावनत किए गए बोलीदाता को ऐसी ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान या 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, अयोग्य होगा।

(b) कोई भी निविदादाता जिसका किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी भी विभाग के साथ अनुबंध पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त हो गया है, अयोग्य होगा।

(c) कोई भी निविदादाता जिसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ( EMD) और / या सिक्योरिटी डिपॉजिट पिछले 5 (पांच) वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभाग द्वारा ज़ब्त किया गया हो, अयोग्य होगा।

(d) यदि निविदा लगाने वाली कंपनी के प्रोपराइटर / भागीदारों में से कोई भी / निविदादाता कंपनी के निदेशक के किसी भी समय, एक अपराध के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और 3 (तीन) की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है वर्षों या उससे अधिक, ऐसी निविदा लगाने वाले अयोग्य होंगे।

#### **H. कानूनी अधिकार क्षेत्र**

i. हॉस्टल मेस में जनशक्ति प्रदान करने का अनुबंध रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद और बोलीदाता के बीच निष्पादित होने वाले समझौते के अनुसार होगा। निविदादाता द्वारा अनुबंध की अचानक समाप्ति या उल्लंघन से निविदादाता की सुरक्षा जमा राशि ज़ब्त हो जाएगी।

ii. निविदादाता द्वारा किए गए किसी भी अनुपालन के लिए संस्थान की ओर से लापरवाही / विफलता के कारण संस्थान द्वारा किए गए भुगतान और / या हानि , और / या किए गए / किए जाने के कारण निविदादाता किसी भी राशि की पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा। वैधानिक दायित्व / तृतीय पक्ष / सार्वजनिक देयता।

iii. अनुबंध से उत्पन्न सभी विवाद या मतभेद केवल औरंगाबाद , महाराष्ट्र में अन्य सभी अदालतों के बहिष्कार के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

#### **I. अन्य सामान्य नियम और शर्तें**

i. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में किसी भी ओवरराइटिंग / फ़्लडिंग / सुधार को निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण के हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस खाते में विफलता के कारण निविदा रद्द हो सकती है।

ii. प्रत्येक दस्तावेज के साथ इस दस्तावेज की एक प्रति (जिस पर हस्ताक्षरकर्ता निविदा लगाकर हस्ताक्षर करता है) के साथ नियम और शर्तों की स्वीकृति में टोकन को तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति के साथ नहीं आने वाली तकनीकी निविदा को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii. बोलीदाता , रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद की निंदा करेगा कि बोलीदाता द्वारा तैनात व्यक्तियों को रोजगार या भुगतान का कोई भुगतान नहीं होगा या रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के खिलाफ कोई अन्य दावा नहीं करेगा।

- iv. चयनित निविदादाता, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में तैनाती के लिए इसके द्वारा प्रायोजित जनशक्ति के चरित्र और पूर्वजों के उपयुक्तता, चिकित्सा फिटनेस और पुलिस सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा।
- v. तैनात की गई जनशक्ति चयनित निविदादाता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेगी और चयनित निविदादाता अपने वेतन और विभिन्न श्रम नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत देय सभी अन्य देयताओं के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
- vi. चयनित निविदादाता के बिलों से आयकर की कटौती आयकर अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी और जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल मासिक बिल राशि पर निविदादाता को जीएसटी का भुगतान किया जाएगा, जहां भी लागू हो।
- vii. चयनित निविदादाता द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति (व्यक्ति) को सामान्य अनुशासन के मामले में निशान तक नहीं आता है या वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है या दंगों या अव्यवस्थित आचरण , चयनित निविदादाताओं सहित किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त होता है। रा.इ.सू.प्रौ.सं के आदेश पर , औरंगाबाद ऐसे व्यक्ति [s] को रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के परिसर से तुरंत स्थानापन्न कर देगा।
- viii. अनुबंध औरंगाबाद न्यायालयों के क्षेत्राधिकार द्वारा शासित किया जाएगा। इस दस्तावेज़ की शर्तों की व्याख्या भारतीय कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- ix. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद या उसके ग्राहकों / ग्राहकों की संपत्तियों की किसी भी तरह की क्षति या क्षति , चयनित निविदादाता द्वारा तैनात कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही या अन्याय के कारण निविदा लगाने वाले से वसूल की जाएगी और निविदादाता ऐसी सभी लागतों को वहन करेगा।
- x. निविदा लगाने वाले को ठेका दिया जाता है , वह तैनात व्यक्तियों से कोई राशि नहीं लेगा। यदि ऐसी कोई भी घटना रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के संज्ञान में आती है , तो चयनित निविदादाता को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।
- xi. चयनित बोलीदाता को रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद से संचार के 15 दिनों के भीतर रा.इ.सू.प्रौ.सं के साथ एक समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी , इस प्रयोजन के लिए इसके चयन के बारे में और इस खाते पर कर देयता संबंधित बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- xii. बोलीदाता को औरंगाबाद में एक कार्यालय होना चाहिए और अगर उसके पास औरंगाबाद में कोई कार्यालय नहीं है तो उसे औरंगाबाद , रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद द्वारा उसके चयन के संचार के 15 दिनों के भीतर एक कार्यालय खोलना चाहिए।
- xiii. बोलीदाता उस उद्देश्य के लिए उसके / उसके द्वारा तैनात जनशक्ति की ओर से कमीशन और चूक के सभी कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा। अनुबंध के तहत कर्तव्यों का पालन करने वाले सेवा प्रदाता के कर्मचारियों की चोट / मृत्यु / स्वास्थ्य आदि के मामलों में रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- xiv. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद सेवा प्रदाता के कर्मियों के किसी भी व्यक्तिगत सामान , उपकरणों या वाहनों के किसी भी नुकसान, क्षति, चोरी, चोरी या लूट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

## xv. आयकर, ईपीएफ और ईएसआई

कोई निविदादाता, जो आयकर विभाग से वैध पैन नहीं रखता है और जो ईपीएफ और विविध प्रावधानों अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत नहीं है और जो ईएसआईसी के साथ पंजीकृत नहीं है, वह निविदा लगाएगा। पैन, ईपीएफ और ईएसआईसी को निविदा दस्तावेज में उद्धृत किया जाना चाहिए, जिसके बिना निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

## xvi. अनुबंध दस्तावेज़ (गैर प्रकटीकरण समझौता)

रा.इ.सू.प्रौ.सं- औरंगाबाद से पूर्व लिखित सहमति के बिना, निविदादाता अनुबंध के प्रदर्शन में निविदा लगाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध या उसके किसी प्रावधान का खुलासा नहीं करेगा। ऐसे किसी भी नियोजित व्यक्ति का खुलासा विश्वास में किया जाएगा और केवल इतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है। अनुबंधकर्ता के उद्देश्यों को छोड़कर, निविदादाता रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद की पूर्व लिखित सहमति के बिना, परियोजना के लिए उपलब्ध किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। अनुबंध के अलावा, रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद द्वारा जारी किए गए सभी परियोजना संबंधी दस्तावेज, रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद की संपत्ति बने रहेंगे और अनुबंध के तहत बोलीदाता के प्रदर्शन के पूरा होने पर रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद को (सभी प्रतियों में) वापस कर दिए जाएंगे। रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद द्वारा।

## xvii. व्याख्या

- यदि संदर्भ में इसकी आवश्यकता है, तो एकवचन का अर्थ बहुवचन और इसके विपरीत है।
- वाणिज्यिक शर्तें: किसी भी व्यापार अवधि और वहां पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों का अर्थ वाणिज्यिक शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सभी शर्तें वाणिज्यिक नियमों के वर्तमान संस्करण में निर्धारित नियमों द्वारा शासित होंगी, जिन्हें भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा आमंत्रण की तिथि के दौरान या निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार प्रकाशित किया जाएगा।
- संपूर्ण समझौता: अनुबंध रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करता है और अनुबंध की तारीख से पहले किए गए सम्मान के साथ सभी संचार, वार्ता और समझौते (चाहे लिखित या मौखिक) पार्टियों के सभी संपत्तियों को अधिगृहीत करता है।
- संशोधन: अनुबंध का कोई भी संशोधन या अन्य भिन्नता तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि यह लिखित में न हो, दिनांकित है, स्पष्ट रूप से अनुबंध को संदर्भित करता है, और प्रत्येक पार्टी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित है।
- कोई छूट नहीं: शर्तों (एफ) और (जी) के अधीन, किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या किसी भी पक्ष को समय देने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई छूट, निषेध, विलंब, या भोग नहीं। अनुबंध के तहत उस पक्ष के अधिकारों को अन्य पक्षपात, प्रभावित, या प्रतिबंधित करेगा, न ही अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी छूट किसी भी बाद के अनुबंध की छूट के रूप में या अनुबंध के उल्लंघन को जारी रखेगा।
- अनुबंध के तहत किसी पार्टी के अधिकारों, शक्तियों, या उपायों की कोई भी छूट लिखित रूप में और इस तरह की छूट देने वाले पार्टी के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, और इसे सही और उस सीमा तक निर्दिष्ट करना होगा जिस पर इसे माफ किया जा रहा है।

g) अनुबंध जीएफआर के प्रावधानों और विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा जारी किए गए निर्देशों (जैसे , लेकिन वित्त मंत्रालय, सीवीसी आदि तक सीमित नहीं) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा , खरीद संबंधी मामलों के आदेश / निर्देश जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले। यदि अनुबंध / समझौते / इस दस्तावेज़ के प्रावधान ऐसे सरकारी संगठनों द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों के साथ विचरण पर हैं , तो आदेश / निर्देश प्रबल होंगे।

h) संधारणीयता: यदि संविदा के किसी प्रावधान या शर्त को अमान्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है या प्रदान किया जाता है, तो इस तरह के निषेध , अमान्यता या अप्रवर्तनीयता अनुबंध के किसी अन्य प्रावधान और शर्तों की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

i) निविदा दस्तावेज में किसी भी खंड की व्याख्या में किसी अस्पष्टता के मामले में , रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खंड की व्याख्या अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

#### **xviii. भाषा**

a) अनुबंध के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता / निविदादाता और रा.इ.सू.प्रौ.सं -Aurangabad द्वारा अनुबंधित एक्सचेंज से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज केवल अंग्रेजी में या अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार लिखे जाएंगे।

b) सहायक दस्तावेजों और मुद्रित साहित्य जो अनुबंध का हिस्सा हैं , किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं बशर्ते वे अंग्रेजी भाषा में संबंधित मार्ग के सटीक और प्रामाणिक अनुवाद के साथ हों। सहायक सामग्री , जो अंग्रेजी में अनुवादित नहीं है, मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

#### **xix. नोटिस**

a) अनुबंध के दूसरे पक्ष को एक पक्ष द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस अनुबंध में निर्दिष्ट पते पर लिखित रूप में होगा। शब्द "लिखित रूप में" का अर्थ है हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में संचारित। फ़ैक्स / ईमेल लिखित हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पीछा किया जाएगा।

b) एक सूचना प्रभावी होगी जब वितरित या सूचना की प्रभावी तिथि पर, जो भी बाद में हो।

#### **xx. लागू कानून**

a) अनुबंध की व्याख्या भारत संघ और महाराष्ट्र सरकार के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

b) फोरम का शासी कानून और विकल्प:

i. भारत के कानून इस अनुबंध को नियंत्रित करेंगे। कोई भी मुकदमा , कार्रवाई या कार्यवाही औरंगाबाद (महाराष्ट्र, भारत) में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार तक ही सीमित होगी।

ii. किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनशक्ति सेवाओं के लिए इस अनुबंध से संबंधित / संबंधित कोई भी अनुबंध / कानूनी कार्रवाई ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर तय की जाएगी। रा.इ.सू.प्रौ.सं- औरंगाबाद उसी की पार्टी नहीं होगी।

#### **xxi. प्रदेय**

निविदादाता रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद के साथ संपर्क का एकल बिंदु होगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं की आवश्यकता के अनुसार हॉस्टल मेस के लिए मेस कर्मियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तैनाती के लिए पूरी तरह से



जिम्मेदार होगा। वह निविदादाता जिसका निविदा स्वीकार कर लिया गया है , अनुबंध / अनुबंध के अनुसार छात्रावास की गड़बड़ी के लिए आवश्यक मानव शक्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।

#### J. बोली वैधता:

प्रस्तुत निविदा कम से कम 180 दिनों के लिए मान्य होनी चाहिए। हालांकि , रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद को वैधता का विस्तार करने का अधिकार होगा , इस मामले में , जो निविदादाता एक्सटेंशन के लिए इच्छुक नहीं हैं, उन्हें बिना ईएमडी खर्च किए वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

#### K. त्रुटियों का सुधार:

निविदा लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि मूल्य निर्धारण के आंकड़े दर्ज करने में सबसे बड़ी सावधानी बरतें। बोलियाँ खोले जाने के बाद वित्तीय निविदा में गलतियों के सुधार के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि कोई अंतः विषय, मिटना, परिवर्तन, द्रव-अंकन, परिवर्धन या ओवरराइटिंग पाया जाता है तो निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निविदा में अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नानुसार माना जाएगा:

- (a) जहां आंकड़ों में और शब्दों में मात्राओं के बीच विसंगति है, शब्दों में राशि पर विचार किया जाएगा।
- (b) जहाँ इकाई दर और इकाई मद के बीच एक विसंगति है , जिसके परिणामस्वरूप इकाई दर को मात्रा से गुणा करने पर , इकाई दर तब तक शासन करेगी , जब तक कि मूल्यांकन में , स्पष्ट रूप से एक सकल त्रुटि नहीं होती है जैसे कि एक गलत स्थान दशमलव बिंदु, जिस स्थिति में लाइन आइटम कुल नियंत्रित करेगा या जो भी तार्किक रूप से सही होगा।
- (c) यदि निविदादाता त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (d) उपरोक्त के बावजूद, मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

#### L. बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

i. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में हॉस्टल मेस के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ मैनपावर के आउटसोर्सिंग के लिए निविदा को 'निविदा' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। निविदा को दो भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अर्थात पार्ट वी - अनुबंध । और वित्तीय निविदा में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार तकनीकी निविदा। PART V- अनुबंध II में दिया गया प्रोफार्मा। सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए दो प्रोफार्मा, को अलग-अलग कवरों में सील किया जाना चाहिए, जैसा कि मामला हो सकता है, "स्टेटमेंट बिड" या "फाइनेंशियल बिड" कथन के साथ प्रत्येक कवर को कवर किया गया हो। फिर इन दोनों कवरों को एक बड़े कवर में सील कर दिया जाना चाहिए और निर्धारित कट-ऑफ तारीख पर या उससे पहले टेंडर शुल्क और EMD के लिए अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट के साथ रा.इ.सू.प्रौ.सं के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी और वाणिज्यिक निविदा के लिफाफों से युक्त बड़ा लिफाफा "स्टेट्स फॉर आउटसोर्सिंग के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ हॉस्टल मेस फॉर रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद" में दिए गए बयान से सुपरिचित किया गया और कार्यकारी निदेशक , रा.इ.सू.प्रौ.सं, डॉ। बी.ए.एम. यूनिवर्सिटी कैम्पस , औरंगाबाद - ४३१ ००४ को इस

दस्तावेज के शीर्ष पर संकेतित समापन समय और तारीख से पहले या उससे पहले पता करने वाले तक पहुंचना चाहिए। निविदा लगाने वालों को निर्धारित तिथि और समय पर तकनीकी निविदा खोलने के लिए अपने प्रतिनिधियों (प्रति निविदा लगाने वाले दो प्रतिनिधि) की प्रतिनियुक्ति करने की अनुमति है।

ii. तकनीकी बोलियों के सभी पन्नों को क्रमांकित किया जाना चाहिए और बोली के शीर्ष पर , प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज के पृष्ठ संख्या का एक सूचकांक इंगित करना होगा। इस तरह के सूचकांक के बिना बोलियाँ अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

iii. इस दस्तावेज के भाग V - अनुबंध II में दिए गए प्रोफार्मा में वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iv. केवल उन्हीं बोलीदाताओं के वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोली योग्य होगी । इस कार्यालय में विधिवत रूप से गठित समिति द्वारा बोली, बोलीदाताओं के विधिवत नामांकित प्रतिनिधियों (उनकी प्रति बोली) की उपस्थिति में अधिसूचित समय, तिथि और स्थान पर खोला जायेगा । यदि समय, तिथि और स्थान में कोई परिवर्तन होता है, तो वित्तीय बोली खोलने की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

v. तकनीकी बोली में किसी भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

vi. तकनीकी और वित्तीय निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: दस्तावेज दो निविदा प्रारूप में नीचे उल्लिखित चेकलिस्ट के अनुसार होंगे:

a) तकनीकी निविदा को निम्नलिखित सहित अपलोड किया जाना चाहिए:

1) निविदा दस्तावेज विधिवत पूर्ण , डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित लेकिन कीमत का संकेत दिए बिना। टेंडर डॉक्यूमेंट शुल्क (₹। 500 / -) और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (₹। 20 ,000 / -) के अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट्स की स्कैन की गई प्रतियाँ।

2) अनुलग्नक के अनुसार निष्पादित समान कार्यों / सेवाओं और समान कार्यों के ग्राहकों की सूची के पिछले प्रदर्शन के बारे में विवरण और प्रमाण - (ii)

3) भाग III-C के अनुसार पात्रता मानदंड के संबंध में दस्तावेजों का समर्थन करना

4) ₹। 100 / - के स्टॉप पेपर पर अंडरटेकिंग - अनुलग्नक -III

5) अनुबंध- IV के अनुसार अंडरटेकिंग का पत्र।

6) निविदा दस्तावेज का भाग IV - (1) प्रमाण पत्र - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले बोलीदाता के किसी भी रिश्तेदार (ओं) के लिए प्रोफार्मा , स्व-घोषणा का प्रमाण पत्र - गैर-काला सूचीकरण और (3) प्रतिनिधि प्राधिकरण पत्र प्रोफार्मा और (4) प्रारूप पावर ऑफ अटॉर्नी।

**b) वित्तीय निविदा को केवल BoQ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए (वित्तीय निविदा की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जानी चाहिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

1. भाग V अनुबंध II में निर्धारित प्रारूप में घोषणाएँ। इसे बोलीदाता के लेटर हेड पर जमा किया जाना चाहिए
2. बोलीदाता भाग V ANNEXURE II में दिए गए BoQ प्रारूप में निर्दिष्ट कीमतों / दरों को ऑनलाइन उद्धृत करेगा
3. बोलीदाताओं को अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों / दरों का उद्धरण करना चाहिए
4. सभी मूल्यों / दरों को आंकड़ों और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कीमतों और दरों को दोनों आंकड़ों में और शब्दों में लिखने में विफलता अस्वीकृति के लिए बोली योग्य होने के लिए

प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत कीमतों / दरों में कोई परिवर्तन / सुधार नहीं हुआ है

5. उद्धृत की गई कीमतें / दरें प्रस्ताव की वैधता की अवधि के दौरान और बाद में अनुबंध की मुद्रा के दौरान दृढ़ रहेंगी और किसी भी भिन्नता / संशोधन के अधीन नहीं होंगी।

#### M. धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण:

a. निविदादाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार, निविदा प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे। इसके विपरीत, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, निविदा लगाने वाले को किसी भी तरह से उत्तरदायी होने के बिना एक निविदा को अस्वीकार कर सकता है, अगर यह निर्धारित करता है कि निविदा लगाने वाले ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या एक एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी अभ्यास में लगे हुए हैं। जबरदस्त अभ्यास, निविदा प्रक्रिया में अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास।

b. रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में क्लॉज़ ( a) के तहत अधिकारों के पक्षपात के बिना, यदि रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद द्वारा किसी निविदादाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से, किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी प्रथा, जबरदस्त अभ्यास में लगे या लिप्त पाया जाता है। निविदा प्रक्रिया के दौरान अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास, ऐसी निविदादाता रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद द्वारा मंगाई गई किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

c. इस खंड के प्रयोजनों के लिए- (ए) ऊपर, निम्नलिखित शर्तों का अर्थ यह होगा कि क्रमशः उन्हें सौंपा गया है:

- 1) "भ्रष्ट प्रथा" का अर्थ है ( i) निविदा प्रक्रिया या जुड़े किसी भी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्य का कुछ भी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, देना, प्राप्त करना, या याचना करना, (ii) बचाओ और अनुमति के अलावा। किसी भी तरीके से संलग्न करना, चाहे बिडिंग प्रक्रिया के दौरान या एलओए के मुद्दे के बाद या समझौते के निष्पादन के बाद, जैसा भी मामला हो, परियोजना या एलओए या समझौते से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी समय परियोजना से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में प्राधिकरण के कानूनी, वित्तीय या तकनीकी सलाहकार रहे हैं;
- 2) "धोखाधड़ी की प्रथा" का अर्थ है बिडिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत व्याख्या या तथ्यों या तथ्यों का दमन या अधूरे तथ्यों का खुलासा;
- 3) "जबरदस्त अभ्यास" का अर्थ है बिडिंग प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की भागीदारी या कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संपत्ति को प्रभावित या नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना या धमकी देना;
- 4) "अवांछनीय अभ्यास" का अर्थ है ( i) प्राधिकरण द्वारा जुड़े या नियुक्त या नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करना, निविदा लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने या प्रभावित करने के किसी भी तरीके से कैनवसिंग, लॉबिंग या किसी भी तरीके से संलग्न करना; या (ii) ब्याज का संघर्ष होने; तथा
- 5) "प्रतिबंधात्मक अभ्यास" का अर्थ है कि एक कार्टेल का निर्माण करना या निविदा प्रक्रिया में पूर्ण और निष्पक्ष प्रतियोगिता को प्रतिबंधित या हेरफेर करने के उद्देश्य से आवेदकों के बीच किसी भी समझ या व्यवस्था पर पहुंचना।

## N. संघ:

रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद द्वारा किसी भी कंसोर्टियम का मनोरंजन नहीं किया जाएगा। निविदादाता अनुबंध की पूरी जिम्मेदारी रखेगा। निविदाकर्ता द्वारा गठित कोई भी संघ जिसका गठन या तो रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए किया गया हो या समझौते के निष्पादन के लिए परियोजना के दौरान निविदा लगाने वाले का एकमात्र जोखिम और जिम्मेदारी होगी और निविदा की अस्वीकृति या दंड के साथ अनुबंध की समाप्ति हो जाएगी।

## O. उपपट्टा :

निविदादाता सम्मानित अनुबंध या उसके भाग को उप-विभाजित नहीं करेगा। उप संकुचन करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जायेगा ।

## P. अधिकार की प्राप्ति:

रा.इ.सू.प्रौ.सं- औरंगाबाद के पास अधिकार है:

- निविदा प्रस्तुत करने के लिए समापन तिथि बढ़ाएँ।
- निविदा तिथि से पहले किसी भी समय निविदा आवश्यकताओं को संशोधित करें , बशर्ते कि संशोधन रा.इ.सू.प्रौ.सं - औरंगाबाद वेबसाइट <http://www.रा.इ.सू.प्रौ.सं.gov.in/aurangabad> पर प्रदर्शित होगा
- किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर निविदा लगाने वालों से जानकारी लेना
- यह जरूरी नहीं की सबसे कम निविदा स्वीकार की जाये , बिना किसी कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा और सभी या किसी भी विकल्प के लिए निविदा स्वीकार कर ली जाएगी जिसके लिए एक से अधिक निविदा लगाने वालों की निविदा आमंत्रित या वितरित की गई है।
- निविदा की प्राप्ति से पहले या बाद में पूरी निविदा प्रक्रिया को समाप्त या छोड़ देना।
- प्रस्तावों के मूल्यांकन या समीक्षा में रा.इ.सू.प्रौ.सं -औरंगाबाद की सहायता के लिए बाहरी सलाहकारों की सलाह लेना
- निविदा लगाने वालों और इसके प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन की पूछताछ करना।
- निविदा लगाने वालों और इसके प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन की पूछताछ करें।

## Q. हित-संघर्ष:

रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद हितों के टकराव को एक ऐसी स्थिति मानता है जिसमें जिस पार्टी के हित होते हैं जो उस पार्टी के आधिकारिक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों , संविदात्मक दायित्वों या लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के उस प्रदर्शन को अनुचित तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और इस तरह के हितों का योगदान रा.इ.सू.प्रौ.सं- औरंगाबाद के अधिप्राप्ति आचार के तहत एक निषिद्ध प्रथा का गठन कर सकता है

रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद की प्रोक्योरमेंट एथिक्स की आवश्यकता के अनुसार , जो निविदादाताओं , आपूर्तिकर्ताओं और अनुबंधों के तहत ठेकेदारों को नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करते हैं ,

रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद निविदा लगाने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा , अगर यह निर्धारित करता है कि हितों के टकराव ने खरीद प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। नतीजतन , सभी निविदादाताओं को हितों के टकराव के कारण अयोग्य घोषित किया जाएगा।

निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में एक या अधिक दलों के साथ हितों के टकराव में माना जा सकता है अगर शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है

- i. शेरधारकों को सामान्य रूप से नियंत्रित करना; या
- ii. उनमें से किसी से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्राप्त करें या प्राप्त करना;या
- iii. निविदा के प्रयोजनों के लिए एक ही कानूनी प्रतिनिधि होना; या
- iv. एक दूसरे के साथ, सीधे या आम तीसरे पक्ष के साथ एक रिश्ता होना, जो उन्हें किसी अन्य निविदादाता की निविदा के बारे में जानकारी प्राप्त करने या प्रभावित करने या इस निविदा प्रक्रिया के बारे में निविदा प्राधिकरण के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में है; या
- v. इस निविदा प्रक्रिया में एक निविदादाता एक से अधिक निविदा में भाग लेता है। एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा में भाग लेने से सभी निविदा की अयोग्यता हो जाएगी जिसमें यह शामिल हालाँकि, यह एक ही उपठेकेदार को शामिल करने को सीमित नहीं करता है, अन्यथा एक बोलीदाता के रूप में भाग नहीं लेता, एक से अधिक बोली में।

#### R. क्षतिपूर्ति:

- a) निविदादाता, नीचे दिए गए उप खंड (ख) के साथ , नाइलिट औरंगाबाद अनुपालन के अधीन होगा निएलिट औरंगाबाद, और उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ और किसी भी और सभी मुकदमों, कार्रवाई या प्रशासनिक कार्यवाही, दावों, मांगों, नुकसान, क्षति, लागत और खर्चों के खिलाफ हानिप्रद है और हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो की निविदा लगाने वाले की मानवशक्ति द्वारा रोजगार के लिए किसी भी दावे या मजदूरी के भुगतान या किसी अन्य दावे के परिणामस्वरूप भुगतान पड़ सकता है।
- b) यदि किसी कार्यवाही को रा.इ.सू.प्रौ.सं , औरंगाबाद के खिलाफ किया जाता है , तो ऊपर बताए गए मामलों में से, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद निविदादाता को तुरंत नोटिस देगा , और बोलीदाता अपने खर्च पर और रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के नाम पर ऐसी कार्यवाही या दावे का संचालन करेगा और ऐसी किसी भी कार्यवाही या दावे से निपटान के लिए मोल भाव करेगा ।
- c) यदि निविदादाता ऐसी सूचना मिलने के बाद पंद्रह ( 15) दिनों के भीतर रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद को सूचित करने में विफल रहता है , तो वह ऐसी किसी कार्यवाही या दावे का संचालन करने का इरादा रखता है, तो रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद निविदादाता के लिए लागत का संचालन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- d) रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद, बोलीदाता के अनुरोध पर , इस तरह की कार्यवाही या दावे में बोलीदाता को सभी उपलब्ध सहायता का भुगतान करेगा , और ऐसा करने में सभी उचित खर्चों के लिए बोलीदाता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

## S. कानून और विनियमों में बदलाव

यदि निविदा प्रस्तुत करने की तिथि के बाद, किसी भी कानून, विनियमन, अध्यादेश, आदेश या कानून के बल वाले कानून को अधिनियमित, प्रख्यापित, निरस्त या परिवर्तित किया जाता है, जिसे सक्षम अधिकारियों द्वारा व्याख्या या आवेदन में किसी भी परिवर्तन को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, बाद में बोलीदाता की लागत और खर्च को प्रभावित करता है और / या अनुबंध को पूरा करने के लिए समय के अनुसार मूल्य में वृद्धि या कमी की जाएगी, और / या समापन का समय यथोचित रूप से इस सीमा तक समायोजित किया जाएगा कि बोलीदाता इस तरह प्रभावित हुआ है अनुबंध के तहत अपने दायित्वों में से किसी का प्रदर्शन।

## T. आपराधिक मुकदमें और धारण

निविदादाता वारंट जिसका खुलासा किया है और इस अनुबंध की अवधि के दौरान अपने कर्मियों और सहयोगियों के पूर्ण विवरण का खुलासा करना जारी रखेगा, जो इस अनुबंध के तहत निविदादाता की पेशकश को पूरा करने या निविदादाता की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की उम्मीद करेंगे।

## U. अप्रत्याशित घटना:

- निविदादाता अपने प्रदर्शन सुरक्षा जमा जप्त, परिसमापन नुकसान, अनुबंध समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि और इअप्रत्याशित घटना कि वजह से जनशक्ति सेवा अनुबंध में प्रदर्शन या अन्य विफलता के तहत अपने दायित्वों को निभाने में देरी होती है
- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है कि बोलीदाता के नियंत्रण से परे एक घटना या स्थिति दूरदर्शी नहीं है, अपरिहार्य है, और इसकी उत्पत्ति बोलीदाता की ओर से लापरवाही या देखभाल की कमी के कारण नहीं हुई है। इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी संप्रभु क्षमता, युद्धों या क्रांतियों, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंधों, दंगों / कानून और जनशक्ति प्रतिबंधों के लिए रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद के कृत्यों तक सीमित नहीं है।
- इस तरह के नोटिस प्राप्त होने पर निविदा लगाने वाला निर्धारित समय में शीघ्रता से हिस्सों की मरम्मत या प्रतिस्थापन करेगा और निएलिट औरंगाबाद किसी भी कीमत का भुगतान नहीं करेगा।
- यदि अधिसूचित करने पर भी निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर दोष को मापने में विफल रहता है, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद एक उचित अवधि के भीतर उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है जिसके खर्च का भुगतान निविदादाता करेगा और यह किसी भी अधिकारों के पक्षपात के बिना निएलिट औरंगाबाद करेगा।

## V. मध्यस्थत

अनुबंध की शर्तों की व्याख्या, अर्थ और उल्लंघन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति से उत्पन्न होता है, तो मामला (भारत सरकार के पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार या किसी भी वैधानिक संशोधनों या इसके पुनः लागू करने के लिए) के लिए एकमात्र मध्यस्थ को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। औरंगाबाद की अदालतों में किसी भी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार होगा और मध्यस्थता के लिए स्थान औरंगाबाद होगा। आर्बिट्रेटर को देय शुल्क को पार्टियों द्वारा समान रूप से साझा किया जायेगा।

## W. अनुबंध के पुरस्कार के लिए नियम और शर्तें

1. अनुबंध निम्नलिखित आधार पर प्रदान किया जाएगा
  - i) तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के आधार पर
  - ii) शैक्षिक संस्थानों में मेस / कैंटीन में काम करने का अनुभव रखने वालों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा
  - iii) निविदा प्रपत्र में उल्लिखित नियम और शर्तों के साथ
  - iv) डर को टेक्निकल बिड के साथ बयाना मनी डिपॉजिट (ईएमडी) का डीडी संलग्न करना होगा जो केवल निविदा प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में वापस किया जाएगा।
  - v) निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेजों की कीमत के लिए डीडी का भुगतान / संलग्न करना होगा.
2. निविदाएं इस प्रयोजन के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएंगी.
3. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और निविदा फार्म / दस्तावेज की लागत के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा
4. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उन पर सहमति होनी चाहिए।
5. अपूर्ण और अहस्ताक्षरित निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. टेंडर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों को पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करना है की वह हस्ताक्षर कर रहा है:
  - i) इस तरह के एकमात्र मालिक की चिंता या गठित वकील का एकमात्र मालिक;
  - ii) फर्म का एक साझेदार यह एक साझेदारी का रूप है , जिस स्थिति में उसे फर्म की ओर से अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार होना चाहिए और साझेदारी के व्यवसाय के संबंध में मध्यस्थता विवाद का उल्लेख करना चाहिए , या तो साझेदारी समझौते के आधार पर या वकील की शक्ति से विधिवत। फर्म के भागीदारों द्वारा निष्पादित;;
  - iii) निदेशक या प्रधान अधिकारी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत.
7. सुधार, यदि कोई हो, निविदा में सत्यापित किया जाना चाहिए।
8. लेट टेंडर पर विचार नहीं किया जाए

भाग - IV

प्रमाण पत्र

(रा.इ.सू.प्रौ.सं में कोई भी निकट रिश्तेदार काम नहीं कर रहे हैका प्रपत्र)

(१० रुपये के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाना है और निविदा लगाने वाले द्वारा सार्वजनिक नोटरी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवाना है।)

में ..... पुत्र / पुत्री श्री .....  
..... निवासी.....

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निविदा दस्तावेज में मेरे किसी भी रिश्तेदार (रिश्तेदार) को परिभाषित नहीं किया गया है / नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान में कार्यरत हैं। किसी भी अवस्था में, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / गलत है, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद को कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि किसी भी पूर्व सूचना के बिना, मेरे लिए उपयुक्त है।

सील के साथ निविदा लगाने वाले का हस्ताक्षर

निकट के रिश्तेदार का मतलब है:

- एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य
- वे पति-पत्नी हैं।
- पिता, माता, बेटा, बेटे की पत्नी, बेटी, बेटी का पति, भाई, भाई की पत्नी, बहिन, बहिन का पति के रूप में एक दूसरे से सम्बंधित होना।

प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में, प्रोप्राइटर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और साझेदारी फर्म के मामले में, सभी भागीदारों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशक या सभी निदेशक की जगह कंपनी सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र। कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन शर्तों का कोई भी उल्लंघन, निविदा / कार्य रद्द कर दिया जाएगा और जब भी इस पर ध्यान दिया जाएगा, तब तक बयाना / प्रदर्शन सुरक्षा जमा किसी भी स्तर पर जब्त कर लिया जाएगा। विभाग कंपनी या फर्म या संबंधित व्यक्ति को कोई हर्जाना नहीं देगा। कंपनी या फर्म या व्यक्तियों को संबंधित इकाई में आगे की भागीदारी के लिए भी डिबार किया जाएगा।

सील के साथ निविदा लगाने वाले का हस्ताक्षर



प्रमाण पत्र

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रा.इ.सू.प्रौ.सं/ सरकारी विभाग में भाग लेने के सन्दर्भ में काली सूची/ गैर काला सूची की घोषणा

(१० रुपये के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाना है और निविदा लगाने वाले द्वारा सार्वजनिक नोटरी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवाना है।)

मैं / हम प्रोपराइटर / साथी/ निर्देशक M/s ..... के इसके द्वारा घोषित घोषित करते है कि फर्म / कंपनी अर्थात् M/s.....

सरकारी निविदाओं में हिस्सा लेने से MeitY / रा.इ.सू.प्रौ.सं या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा अतीत में काली सूची में नहीं डाली गयी है।

या

मैं / हम प्रोपराइटर / साथी/ निर्देशक M/s ..... के इसके द्वारा घोषित घोषित करते है कि फर्म / कंपनी अर्थात् M/s..... काली सूची में MeitY / रा.इ.सू.प्रौ.सं, या

किसी भी अन्य सरकारी विभाग द्वारा \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ अवधि के लिए डाली गयी है

जिसकी अवधि .....को खतम हो गयी है और अब फर्म / कंपनी सरकारी निविदाओं में भाग लेने का हकदार है। यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई गई है, तो हम पूरी तरह से जानते हैं कि निविदा / अनुबंध O/o ED, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद और EMD/SD द्वारा अस्वीकृत / रद्द कर दिया जाएगा। उपरोक्त O/o ED, रा.इ.सू.प्रौ.सं के अलावा, औरंगाबाद में किसी भी पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण कार्य के लिए बिलों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

क्षमता जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं: .....

फर्म का नाम और पता: .....

.....

दिनांक:

मुहर के साथ बोलीदाता का हस्ताक्षर

फर्म की सील को  
चिपका दिया जाना  
चाहिए

प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में प्रोपराइटर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और साझेदारी फर्म के मामले में, सभी भागीदारों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशक या सभी निदेशक की जगह कंपनी सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र।

**प्रमाण पत्र**  
**कार्यालय को देखने के लिए प्राधिकृत पत्र**

(कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में जमा करना होगा निविदा खुलने की तारीख को या उससे पहले)

संदर्भ: \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

सेवा मे,

कार्यकारी निदेशक,  
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,  
CEDTI परिसर, डॉ। बी.एम्.यू.निर्वसिटी कैम्पस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 431004

प्रिय महोदय / महोदया,

श्रीमती/श्रीमान \_\_\_\_\_ रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में हॉस्टल मेस के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जनशक्ति के आउटसोर्सिंग के लिए निविदा के लिए एजेंसी की ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है । वह भी बैठकों में भाग लेने और तकनीकी और वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है , जैसा कि उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान आपको आवश्यक हो सकता है।

आपको धन्यवाद,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिनिधि हस्ताक्षर

कंपनी की मोहर

(अधिकतम दो प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी ।कार्यालय में प्रवेश की अनुमति से इनकार कर दिया जा सकता है यदि ऊपर दिए गए दस्तावेज़ में नाम नहीं है)

पावर ऑफ अटॉर्नी  
(प्रासंगिक मूल्य के स्टाम्प पेपर पर)

वर्तमान में सभी सदस्यों को जान लें , हम \_\_\_\_\_ (कंपनी / फर्म और पंजीकृत कार्यालय का पता ) का इस प्रकार नियुक्ति करते हैं और श्री / श्रीमती . \_\_\_\_\_ (पूरा नाम और आवासीय पता) को अधिकृत करते हैं जो वर्तमान में हमारे पास पद धारण किए हुए हैं। \_\_\_\_\_ हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने सहित रा.इ.सू.प्रौ.सं -औरंगाबाद द्वारा निविदा दस्तावेज के जवाब में हमारे प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक या संबंधित , विलेख और आवश्यक बातें हमारी निविदा के संबंध में सभी मामलों में रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद को प्रतिक्रियाएं देंगे।

इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों और चीजों को कानूनी रूप से पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कामों और चीजों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

दिनांक \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_.

के लिये \_\_\_\_\_.

(हस्ताक्षर) \_\_\_\_\_

(नाम, पदनाम और पता) \_\_\_\_\_

स्वीकृत

(हस्ताक्षर) \_\_\_\_\_

(नाम और पदनाम) \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

व्यावसायिक पता: \_\_\_\_\_

**भाग - V**  
**तकनीकी निविदा**

**Annexure- I**

**i. जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा**

(कृपया इस प्रोफार्मा को भरने से पहले नियम और शर्तों को देखें)

क्रमांक	विषय	विवरण	संलग्नक की पृष्ठ संख्या
1	संगठन का नाम, पता और टेलीफोन नं		
2	संगठन का नाम , पता और टेलीफोन नं (ए) व्यापार शुरू करने की तारीख (कृपया अपने बयान के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करें) (बी) श्रम लाइसेंस संख्या और दिनांक (संलग्न प्रति)		
3	संगठन की स्थिति (यानी कि प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पंजीकृत संस्थाएँ पंजीकरण अधिनियम आदि के तहत)।		
4	संगठन का पंजीकरण नं (पंजीकरण / निगमन प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
5	सीईओ / प्रोपराइटर का नाम		
6	संपर्क नंबर सहित संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता।		
8	(ए) बिक्री कर / वैट नंबर (प्रति संलग्न करें) (b) सेवा कर सं। (ST Regn की संलग्न प्रति)		
9	पैन नंबर (प्रति संलग्न करें)		
10	(a) अनुबंध का विवरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ जो निविदा दस्तावेज के भाग II बी के प्रावधानों को संतुष्ट करता है। (अनुबंध का नाम, पता और वार्षिक लागत, संपर्क व्यक्ति का विवरण प्रदान करें) (अनुबंध की प्रतियाँ संलग्न करें) और अनुबंध के संतोषजनक समापन का प्रमाण पत्र)		
	(b) निविदा जमा करने की तिथि पर औरंगाबाद में और उसके आसपास ग्राहकों की संख्या (कृपया संपर्क व्यक्ति के पते और टेलीफोन नंबर के साथ एक व्यापक सूची संलग्न करें)		
	(c) केन्द्र / राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्त निकाय / पीएसयू का विवरण जो कि निविदा लगाने वाले ग्राहक है। (आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)		

11	ईएमडी का विवरण (डीडी संलग्न) (औरंगाबाद में देय रा.इ.सू.प्रौ.सं के पक्ष में डीडी बनाया जाना चाहिए)	मांग पत्र संख्या. _____ मांग पत्र दिनांक _____ मांग पत्र राशि. Rs.20,000/- डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया _____	
12	(a) (ए) अपने कार्यालय में जनशक्ति की ताकत (समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)  (b) अकुशल कर्मचारियों को छोड़कर मौजूदा ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (समर्थन में पिछले महीने की ईसीआर की प्रति संलग्न करें)	प्रबंधकीय _____ पर्यवेक्षी कर्मचारी _____ (अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) _____ _____	
13(a)	चाहे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ पंजीकृत हो या कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि के विनियमन के लिए कोई अन्य ट्रस्ट	हा /ना	
(b)	पीएफ पंजीकरण संख्या और दिनांक (संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न करें)		
14(a)	ESIC के साथ पंजीकृत हो	हा /ना	
(b)	पंजीकरण संख्या और दिनांक (संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न करें)		
15	क्या निविदादाता न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक प्रतिभूतियों के भुगतान से संबंधित प्रासंगिक नियमों और कानूनों के प्रावधानों का पालन करता है (कृपया इन आदेशों / नियमों का पालन करना अनिवार्य है)	हा /ना	
16	श्रम लाइसेंस संख्या (अटैच कॉपी)		
17	क्या आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित है? यदि हाँ, तो उसी की एक स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है।		
18	(a) (ए) क्या आपके पास एक खाता प्रबंधक और एक पेरोल और लेखा विभाग है?  (b) (ख) क्या आप ग्राहक को एक समर्पित लेखा प्रबंधक प्रदान करते हैं?	हा /ना  हा /ना	
19	क्या आपके पास टेंडर डॉक्यूमेंट में निर्धारित नियम और शर्तों से असहमति है? यदि हाँ, तो कृपया बताएं और सुझाए गए समाधान का भी संकेत दें। (यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो कृपया अलग शीट संलग्न करें।)		
20	. निर्धारित प्रारूप के अनुसार रु। 100 / - (केवल एक सौ केवल) के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत अंडरटेकिंग।	हा /ना	

ii. पूर्व ग्राहकों की सूची के लिए प्रस्ताव

पिछले ग्राहकों की सूची					
क्लाइंट का नाम और पता	टेलीफोन नंबर	अनुबंध की अवधि		उपयोगकर्ताओं की संख्या	अनुबंध मूल्य
		से	तक		

iii. देय की जानकारी न्यूनतम मजदूरी

अनु क्रमांक	कामगार के प्रकार	वर्ग	आवश्यक संख्या	हर महिने की कम से कम मजदूरी (बुनियादी+VDA)	कटौती		नियमित की लागत रूपए
					इ पी फ @13.36 रूपए	इ स आय @4.75% रूपए	
a	बावर्ची	कुशल	1 No.	रु. 12600.00	1683.36	598.50	14,882.00
b	सहायक बावर्ची	अर्धकुशल	1 No.	रु. 11,792.30	1,575.45	560.13	13,928.00
c	चपाती बनाने सह बर्तन धोने वाला	अर्धकुशल	2 Nos.	रु. 11,792.30	1,575.45	560.13	27,856.00
d	जैनिटर सह सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	अकुशल	1 No.	रु. 11,215.00	1,498.32	532.71	13,246.00
कुल रु							69,912.00

टिप्पणी:

यह केवल बोलीदाता का संदर्भ है और आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार विभिन्न वैधानिक महंगाई भत्ता सहित सभी वैधानिक (वीडीए) शुल्क हैं।

इन कर्मचारियों के वेतन को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। निविदा लगाने वाले को कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। निविदा लगाने वाला यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी ESI ACT और 1948EPF ACT के प्रावधान के 1952 अंतर्गत आता है।

बोलीदाता को यह जानना चाहिए कि मुख्य श्रम आयुक्त, सरकार। महाराष्ट्र जनवरी और जुलाई के महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को संशोधित करता है। यदि अनुबंध अवधि के दौरान वीडिए में कोई ऊपर की (वीडीए) ओर संशोधन किया जाएगा, तो निविदादाता कर्मचारियों को तदनुसार भुगतान करेगा और रा.इ.सू.प्रौ.सं अंतर राशि का भुगतान करेगा उत्पादन पर = वीडिए को संशोधित करें - निविदा के समय वीडिए) निविदा लगाने वाले को । बाद के महीने में बिल का। अनुबंध की अवधि के दौरान (अंतर राशि, मूल प्राप्तियों के उत्पादन पर मासिक बिल के साथसाथ यदि कोई वास्तविक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी जो जीएसटी है ।

यह माना जाता है कि वर्तमान दरों के अनुसार मासिक मजदूरी को सभी बोलीदाता द्वारा ऊपर माना जाएगा। अंतर होने पर, प्रीभलग लिखा जा सकता है। बिड मीटिंग के समय समान रूप से अलग-

घोषणा:

a) यह प्रमाणित है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है।

हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों से गुजरे हैं और उसी का पालन करने की पुष्टि करते हैं। असहमति और समाधान प्रस्तावित को एक अलग शीट में सूचीबद्ध किया गया है और इस निविदा के साथ संलग्न किया जा रहा है

b) नियम और शर्तों की स्वीकृति में , हस्ताक्षरित प्रत्येक पृष्ठ के साथ निविदा दस्तावेज की एक प्रति संलग्न है।

(c) हम समझते हैं कि "असहमति और हमारे द्वारा प्रदान किए गए प्रस्तावित समाधान" के बिंदुओं को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए रा.इ.सू.प्रौ.सं औरंगाबाद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(d) इस निविदा का हस्ताक्षरकर्ता संगठन की ओर से ऐसी निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

तारीख: \_\_\_\_\_

जगह: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पद : \_\_\_\_\_



**परिष्करण वित्तीय आधार के लिए**

अनुक्रमांक	विवरण	मात्रा और इकाई	दर	रकम
1	बर्तन, फ्रीज़र, गैस कनेक्शन, आवश्यक उपकरण और भोजन की तैयारी के लिए अन्य सभी आवश्यक सामान के लिए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क	एकमुश्त		
2	प्रति कामगार प्रति माह निश्चित सेवा शुल्क	5		
	संपूर्ण रूपए.			

**घोषणा:**

1. हम समझते हैं कि:

(i) दरों को सभी स्तंभों के खिलाफ उद्धृत किया जाना है। यदि कोई अन्य कर / लेवी लागू नहीं है , तो संबंधित कॉलम के खिलाफ एक एनआईएल प्रविष्टि बनाई जानी चाहिए।

(ii) कर्मचारियों को भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। महाराष्ट्र के समय-समय पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत लागू और भविष्य निधि , ग्रेच्युटी, ईएसआई, अवकाश वेतन और बोनस के कारण वैधानिक भुगतान।

(iii) रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में इस निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि कोई संतोषजनक निविदा प्राप्त नहीं होती है। उस स्थिति में, यह आवश्यकता को फिर से टेंडर कर सकता है।

(iv) रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(v) विक्रेता को अनुबंध से सम्मानित किया गया , किसी अन्य कंपनी या उसके प्रमुख के नाम पर अनुबंध को वापस लेने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले में , यह अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है, ई.एम.डी. जब्त कर लिया जाएगा।

2. यह प्रमाणित है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है।

3. हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों से गुजरे हैं और उसी का पालन करने की पुष्टि करते हैं। नियम और शर्तों को स्वीकार करने के टोकन पर हस्ताक्षरित प्रत्येक पृष्ठ के साथ निविदा दस्तावेज की एक प्रति संलग्न है।

4. प्रमाणित किया कि मैंने दरों को शब्दों और संख्यात्मक / आंकड़ों दोनों में सावधानीपूर्वक उद्धृत किया है। विवाद की स्थिति में, शब्दों में उद्धृत दरें अंतिम होंगी।
5. प्रमाणित किया कि मैं निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हूँ
6. ठेकेदार सेवा शुल्क के लिए उद्धृत दरें वृद्धि मुक्त हैं और अनुबंध की पूरी अवधि के लिए निर्धारित रहेंगी।
7. यह पुष्टि की जाती है कि इस दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ता आवेदक संगठन की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं और यहां की गई प्रतिबद्धताएं उन पर बाध्यकारी हैं।

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पद : \_\_\_\_\_

कंपनी की सील : \_\_\_\_\_

जगह : \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

( रु. 100 / - के स्टाम्प पेपर पर )

**वचन देना**

प्रति

कार्यकारी निदेशक

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  
CEDTI परिसर, डॉ। बी.ए.एम. विश्वविद्यालय परिसर  
औरंगाबाद, महाराष्ट्र -431004

फर्म / एजेंसी का नाम \_\_\_\_\_

निविदा का नाम \_\_\_\_\_ नियत तिथि: \_\_\_\_\_

महोदय,

1. मैं / हम इसके द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
2. यह प्रमाणित करना है कि इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं / हम सभी नियमों और शर्तों को पढ़ चुके हैं और पूरी तरह से समझ चुके हैं और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए स्वयं / स्वयं को कार्य करते हैं।
3. मैं / हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, अवकाश और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य शुल्क जैसे अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधानों का पालन करते हैं। मैं / हम समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
4. मैं / हम प्रशिक्षित और योग्य संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करेंगे।

(निविदादाता का हस्ताक्षर) \_\_\_\_\_

बोलीदाता का नाम और पता \_\_\_\_\_

टेलीफोन नंबर . \_\_\_\_\_

**वचन पत्र**  
(निविदादाता के लेटर हेड पर)

प्रति

कार्यकारी निदेशक,  
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)  
CEDTI कॉम्प्लेक्स, डॉ। बी.एम्.यूनिवर्सिटी कैम्पस औरंगाबाद, महाराष्ट्र -431004

विषय: हॉस्टल मेस, रा.इ.सू.प्रौ.सं, औरंगाबाद में अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जनशक्ति के आउटसोर्सिंग के लिए निविदा दस्तावेज

महोदय,

यह रा.इ.सू.प्रौ.सं-औरंगाबाद निविदा संख्या . \_\_\_\_\_ का संदर्भ देता है। हमने इस प्रस्ताव की गंभीर रूप से जांच की है और इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निविदा प्रस्तुत करने के लिए सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार किया है। हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वित्तीय निविदा में हमारे द्वारा कोई नियम और शर्त निर्धारित नहीं की गई हैं और सभी घोषणाएं / उपक्रम निर्धारित प्रारूप में हैं।

औपचारिक अनुबंध तैयार होने और निष्पादित होने तक, यह प्रस्ताव, आपकी लिखित स्वीकृति और आपके पुरस्कार की अधिसूचना के साथ , हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा। हम उपरोक्त अनुबंध के लिए, (और, यदि पुरस्कार हमें दिया जाता है, निष्पादित करने में) प्रतिस्पर्धा में, हम भारत में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का पालन करेंगे।

हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

उपरोक्त दस्तावेज को \_\_\_\_\_ पर (स्थान) \_\_\_\_\_ पर निष्पादित किया जाता है और हम स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी में से कुछ भी गलत पाया जाता है तो हमारा टेंडर / वर्क ऑर्डर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

आपको धन्यवाद ,

आपका आभारी,

तारीख : निविदा लगाने वाले का नाम  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:  
संगठन की मुहर:

जगह :

चेक-सूची

संख्या	दस्तावेज मांगे	पृष्ठ संख्या जिस पर दस्तावेज़ रखा गया है
1.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)के देय "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रा.इ.सू.प्रौ.सं" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु 20,000 / - (केवल बीस हजार रुपये) की निविदा सुरक्षा (ईएमडी)	
	निविदा दस्तावेज (गैर-वापसीयोग्य) की लागत रु। 500 / - (केवल पांच सौ रुपए) खाता दाता डिमांड ड्राफ्ट "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रा.इ.सू.प्रौ.सं" औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया गया है।	
2.	नाम / पदनाम, पते और कार्यालय के टेलीफोन नंबरों के साथ फर्म / एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति की हाल ही में पासपोर्ट आकार की एक फोटो स्व-सत्यापित। यदि निविदा लगाने वाला एक साझेदारी फर्म, नाम, पदनाम, पता और कार्यालय के टेलीफोन नंबर / निदेशक / भागीदार भी हैं	
3.	100 / - (रुपये एक सौ केवल) के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग ॥ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार।	
4.	आयकर विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति के साथ जारी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति.	
5.	फर्म / एजेंसी की वैध पंजीकरण संख्या की स्व-सत्यापित प्रति।	
6.	सेवा कर पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।	
7.	वैध भविष्य निधि पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।	
8.	वैध ईएसआई पंजीकरण संख्या की स्व-सत्यापित प्रति	
9.	वैध बिक्री कर नंबर / वैट संख्या की स्व-सत्यापित प्रति	
10.	वैध लाइसेंस सं। की स्व-सत्यापित प्रति। अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत।	
11.	खाद्य और मिलावट अधिनियम के तहत लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति	
12.	संबंधित ग्राहकों से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र के साथ एक वित्तीय वर्ष का अनुभव	
13.	स्वयं के कार्यालय में श्रमशक्ति के समर्थन में स्व-प्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण	
14.	स्व-प्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण। मौजूदा ग्राहकों को प्रदान किए जा रहे कर्मचारी।	